NDOH: 03.09.2025

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 824/2024

IN THE MATTER OF:

PRAVEEN KUMAR GAUTAM ....APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND AND ORS .... RESPONDENTS

INDEX OF FILING

Sl.No.	PARTICULARS	Page NO.
1.	Compliance Affidavit of on behalf of the Respondent No. 6	**1-52**
2.	Proof of Service	**53**

FILED ON: 09/07/2025

FILED BY:

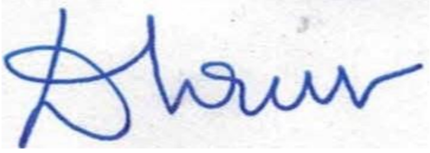

(DHRUV TAMTA)
Advocate for the Respondents
Chamber No. 331, M.C. Setalvad Bock Supreme Court of India,
Bhagwan Das Road, New Delhi
Mo. 9899989917 Email - tamtaadvocates@outlook.com

समक्ष माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली

जवाबी हलफनामा (Counter Affidavit)
(प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से)

मूल आवेदन संख्या 824 / 2024

जिला: देहरादून

प्रवीण कुमार गौतम

...................आवेदक

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य।

.... प्रतिवादी

श्री .... देहरादून का हलफनामा।

.... हलफनामाकर्ता

मैं, उपरोक्त नाम का हलफनामाकर्ता, एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं और शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं:

A. यह कि मैं Dy. SP. रीना राठौर हूं, और वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से उस हद तक परिचित हूं जहां तक वे पुलिस विभाग की कार्रवाई और जिम्मेदारियों से संबंधित हैं। मैं प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से यह जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए विधिवत अधिकृत हूं।

B. यह कि हलफनामाकर्ता ने आवेदक द्वारा दायर मूल आवेदन को पढ़ा है और उसमें बताए गए तथ्यों को पूरी तरह से समझता है एवं प्रतिउत्तर में सम्मानपूर्वक निम्नलिखित कथन प्रस्तुत करता है:-

C. **यह कि आवेदन-पत्र का पैरावार जवाब देने से पहले निम्नलिखित तथ्यों को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संज्ञान में लाना आवश्यक है: -**

NOTARY
Rajinder Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg-No 19(01)2006
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

क- यह कि माननीय न्यायाधिकरण के संज्ञान में यह तथ्य लाना आवश्यक है कि ग्रामीणों एवं अपर्णा एक्सप्लोसिव के अधिकारियो के मध्य विवादित सड़क/रास्ते की आवाजाही के सम्बन्ध में विवाद विगत कई वर्षो से चला आ रहा है तथा पक्षकार एक दुसरे पर विवादित रास्ते पर अतिक्रमण एवं अवैध पेड़ो के कटान आदि के सम्बन्ध में आरोप-प्रत्यारोप लगाते आ रहे है।

ख- यह कि माननीय न्यायाधिकरण के संज्ञान में यह तथ्य लाना आवश्यक है कि विवादित मार्ग के संबंध में, न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन, देहरादून के समक्ष एक वाद संख्या 763/2006, गंभीर सिंह और अन्य बनाम अपर्णा एक्सप्लोसिव के रूप में पंजीकृत किया गया था, जिसमें मा० न्यायालय के आदेश दिनांक 13-10-15 के द्वारा उक्त मुकदमा खारिज कर दिया था, और अपर्णा एक्सप्लोसिव/कोविद आहूजा उपरोक्त विवादित मार्ग पर अपना स्वामित्व और अधिकार साबित करने में विफल रहे हैं।

ग- यह कि माननीय न्यायाधिकरण के संज्ञान में यह तथ्य लाना आवश्यक है कि ग्राम चौकी, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून के खसरा संख्या 137क, 137ख, 137ग, 137घ, 137ङ और 146 में राजस्व अभिलेखों में इंगित सार्वजनिक सड़क श्मशान घाट और काश्तकारों की भूमि से खारा खेत और सेला गांव तक जाती है। यह सड़क राजस्व दस्तावेजों में सड़क के रूप में दर्ज है और ग्राम चौकी के सर्वेक्षण में भी दिखाई गई और दर्ज है। इस सड़क का उपयोग किसानों और ग्रामीणों द्वारा कई दशकों से अपनी भूमि पर खेती के लिए और एक गांव से दूसरे गांव तक यात्रा के लिए किया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त, इस सार्वजनिक सड़क पर सीसी सड़क के निर्माण को वर्ष 2016-17 के जिला योजना के तहत अनुमोदित किया गया था।

घ- यह कि माननीय न्यायाधिकरण के संज्ञान में यह तथ्य लाना आवश्यक है कि विवादित मार्ग के संबंध में न्यायालय अपर आयुक्त गढ़वाल मंडल पौड़ी के समक्ष एक पुनरीक्षण संख्या 19/2023-24, प्रतिमा शर्मा बनाम अपर्णा एक्सप्लोसिव आदि लंबित है जिसमें मा० न्यायालय के आदेश दिनांक 15/06/2024 को निम्न आदेश पारित कियें हैं कि न्यायहित में प्रतिवादीगण को ग्राम चौकी परगना पछवादून तहसील विकासनगर के खसरा संख्या 137 और 146 में प्रश्नगत रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार के अतिक्रमण करने से निषिद्ध किया जाता है एवं मौके पर रास्ते की आवाजाहि को निर्बाध रूप से बनाए रखा जाए ।

ङ- यह कि माननीय न्यायाधिकरण के ध्यान में यह तथ्य लाना आवश्यक है कि विवादित सामान्य मार्ग के संबंध में, न्यायालय राजस्व परिषद उत्तराखंड, देहरादून के समक्ष एक पुनरीक्षण संख्या-/2024-25, अपर्णा एक्सप्लोसिव बनाम प्रतिमा शर्मा आदि भी लंबित है।

च- यह कि, प्रतिवादी -8 मनीष कुमार एवं अन्य ग्रामीणों ने उपरोक्त विवादित रास्ते/सड़क पर अपर्णा एक्स्प्लोसिव एवं कोविद आहूजा के अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए श्रीमान जिलाधिकारी देहरादून को एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसका संज्ञान लेकर मा० जिलाधिकारी देहरादून अग्रिम जांच के लिए उप-जिलाधिकारी विकासनगर, देहरादून को अग्रेषित किया। उप-जिलाधिकारी विकासनगर, देहरादून वर्तमान में इस उक्त प्रकरण की जांच कर रहे हैं, और इस जांच के क्रम में, ग्राम पटवारी ने भी अपनी रिपोर्ट/ आख्या दिनांक 29-05-2024 में विवादित रास्ते/सड़क के राजस्व अभिलेख एवं नक्शे में अस्तित्व की पुष्टि की है।

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

छ- यह कि प्रतिवादी -9 प्रतिमा शर्मा द्वारा उपरोक्त विवादित रास्ते/सड़क पर अपर्णा एक्स्प्लोसिव एवं कोविद आहूजा के अवैध अतिक्रमण को रोकने के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसका संज्ञान लेकर प्रकरण के संबंध मे तथ्यात्मक जांच हेतु मा० जिलाधिकारी देहरादून को पत्रांक वाचक -05/24 दिनांक 03-06-2024 को अग्रेषित किया ।

ज- यह कि मा० न्यायालय अपर आयुक्त गढ़वाल मंडल पौड़ी के आदेश दिनांक 15/06/2024 के अनुपालन में एवं श्रीमान तहसीलदार महोदय विकासनगर के मौखिक आदेश दिनांक 22-06-2024 के क्रम थानाध्यक्ष-प्रेमनगर एवं ग्राम पटवारी/ लेखपाल द्वारा संयुक्त रूप से पक्षकारो को सूचित किया गया है कि पक्षकार विवादित रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार के अतिक्रमण ना करें एवं मौके पर रास्ते की आवाजाहि को निर्बाध रूप से बनाए रखा जाए एवं थानाध्यक्ष-प्रेमनगर द्वारा पक्षकारो को सूचित किया गया है कि आदेश का अनुपालन ना करने की दशा में उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी । (संयुक्त आख्या संलग्न है)

1. यह कि आवेदन-पत्र का पैरा संख्या -1 अभिलेख का विषय है जिसको सिद्ध करने का भार आवेदक पर है एवं प्रतिवादी संख्या -6 से संबंधित नहीं है अतः इसके उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

2. यह कि आवेदन-पत्र का पैरा संख्या -2 राजस्व अभिलेखो से सम्बंधित है जिसको सिद्ध करने का भार आवेदक पर है एवं प्रतिवादी संख्या -6 से संबंधित नहीं है अतः इसके उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

3. यह कि आवेदन-पत्र का पैरा संख्या -3 अभिलेख/पत्रावली से सम्बंधित है जिसको सिद्ध करने का भार आवेदक पर है प्रतिवादी संख्या -6 से संबंधित नहीं है अतः इसके उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

4. यह कि आवेदन-पत्र का पैरा संख्या -4 अभिलेख/पत्रावली से सम्बंधित है जिसको सिद्ध करने का भार आवेदक पर है प्रतिवादी संख्या -6 से संबंधित नहीं है अतः इसके उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

5. **यह कि आवेदन-पत्र के पैरा 5 के संदर्भ में, यह स्वीकार किया जाता है कि श्री कोविद आहूजा द्वारा थाना प्रेम नगर जिला देहरादून को अवैध सड़क निर्माण के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी।** उक्त शिकायत प्राप्त होने पर, पुलिस विभाग ने प्रारंभिक जांच और विवादित स्थल के निरीक्षण बाद प्रकरण वन भूमि और वन क्षेत्रों के भीतर अवैध गतिविधियों से संबंधित होने के कारण शिकायतकर्ता को वन विभाग से संपर्क करने की सलाह दी गई। उक्त प्रकरण में सम्बंधित वन-विभाग से पेड़ो के अवैध कटान एवं अवैध सड़क निर्माण के सम्बन्ध में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

6. यह कि आवेदन-पत्र का पैरा संख्या -6 अभिलेख/पत्रावली से सम्बंधित है जिसको सिद्ध करने का भार आवेदक पर है प्रतिवादी संख्या -6 से संबंधित नहीं है अतः इसके उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

7. यह कि आवेदन-पत्र का मुख्य विषय आरक्षित वन भूमि पर कथित अतिक्रमण और वन क्षेत्र के भीतर अवैध निर्माण से संबंधित है। संबंधित कानूनों और प्रक्रियाओं के अनुसार, वन भूमि और वन क्षेत्रों के भीतर अवैध गतिविधियों से संबंधित प्रकरणों का क्षेत्राधिकार वन विभाग के अंतर्गत आते हैं।

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(04)2002
GOVT.OF UTTARAKHAND (INDIA)

8. यह कि आवेदन-पत्र से उल्लिखित कथनों/शिकायत के प्रकरणों में पुलिस विभाग की भूमिका अक्सर वन विभाग को कानून और व्यवस्था बनाए रखने में और उनके अनुरोध पर या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए तत्काल खतरे के मामलों में भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों को लागू करने में सहायता प्रदान करना है।

9. यह कि पुलिस विभाग माननीय न्यायाधिकरण द्वारा जारी किए जाने वाले किसी भी निर्देश या आदेश का पालन करने के लिए सदैव तत्पर है।

10. यह कि पुलिस विभाग माननीय न्यायाधिकरण द्वारा जारी किए जाने वाले किसी भी निर्देश या आदेश का पालन करने के लिए सदैव तत्पर है।

11. यह कि पुलिस विभाग माननीय न्यायाधिकरण द्वारा जारी किए जाने वाले किसी भी निर्देश या आदेश का पालन करने के लिए सदैव तत्पर है।

12. यह कि "वन अधिकारियों और निजी भूमि मालिकों के बीच सांठगांठ" और पुलिस अधिकारियों के "गलत काम करने वालों के साथ हाथ मिलाए हुए" होने का आरोप, जैसा कि मूल आवेदन में लगाया गया है, असत्य है अतः आस्विकार किया जाता है। पुलिस विभाग कानून और अपने अनिवार्य कर्तव्यों के अनुसार कार्य करता रहा है।

13. यदि माननीय अधिकरण द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो पुलिस विभाग एक विशेष जांच दल गठित कर संबंधित विभागों के साथ संयुक्त निरीक्षण व रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तत्पर है।

यह कि यहां विशेष रूप से स्वीकार किए गए कथनों को छोड़कर, मूल आवेदन में किए गए अन्य सभी आरोप, अभिकथन और प्रस्तुतियां, जहां तक वे पुलिस विभाग से संबंधित हैं, झूठे और गलत है अतः अस्वीकार हैं।

उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में, माननीय अधिकरण से प्रार्थना है कि:

(क) आवेदक याचित राहत पाने का हकदार नहीं हैं और आवेदन खारिज करने योग्य है।
(ख) इस मूल आवेदन को प्रतिवादी संख्या 6 के विरुद्ध खारिज किया जाए तथा/या
(ग) माननीय अधिकरण द्वारा उचित एवं न्यायोचित अन्य आदेश पारित किए जाएं।

..............शपथकर्ता

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(4)/2055
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

सत्यापन- इस प्रति शपथपत्र के पैरा संख्या 1 से 13 के कथन मेरे निजी ज्ञान व रिकॉर्ड के आधार पर सत्य एवं सही है इसका कोई भी हिस्सा झूठा नहीं है और कुछ भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है।

ईश्वर मेरी मदद करें।

...........**शपथकर्ता**

(रीना राठौर)

DySP प्रेमनगर

मैं, ... (अधिवक्ता) एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि यह हलफनामा/प्रति शपथपत्र बनाने वाला व्यक्ति मुझे व्यक्तिगत रूप से जानता है।

(........................)

अधिवक्ता

इस शपथ-पत्र के शपथकर्ता द्वारा .... जुलाई, 2025 को .... पूर्वाह्न/अपराह्न पर सत्यापित किया गया, जिसकी पहचान उपरोक्त अधिवक्ता द्वारा की गई है।

मैंने शपथकर्ता की जांच करके स्वयं को संतुष्ट कर लिया है कि वह इस शपथ-पत्र की सामग्री को पूरी तरह से समझता है जिसे मेरे द्वारा उसे पढ़कर सुनाया गया है और समझाया गया है।

(........................)

नोटरी

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg. No. 19(01)2002
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

न्यायालय अपर आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी कैम्प देहरादून

निगरानी सं० - 55/2024-2025

शमशाद अली बनाम देवी सिंह आदि

नकल आदेश दि० - 27-05-2025

21-05-2025

प्रश्नगत निगरानी न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी विकासनगर ,जनपद देहरादून के वाद संख्या- 41/2021-22, अन्तर्गत धारा 229बी0 ज0वि0अधि0, देवी सिंह बनाम शमशाद अली आदि, में पारित आदेश दिनांक 15-09-2022 के विरूद्ध इस न्यायालय में योजित की गयी है।

निगरानी की ग्रहायता पर विद्वान अधिवक्ता को सुना। विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि ग्राम कंडोली तहसील विकासनगर के खाता खतौनी सं0 273 के खसरा सं0 1257/2/2 रकबा 0.7130है0 पर फसली वर्ष 1378 से वर्ग 4 के रूप में निगरानीकर्ता के पिता अपने जीवन काल में काबिज काश्त थे उनके स्वर्गवास के उपरान्त उक्त भूमि निगरानीकर्ता को बतौर विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त भूमि पर अध्यासन (वर्ग 4) के आधार पर शासनादेश सं0 658/18 (1) 2006 दिनांक 28.09.2006 के अनुपालन में वर्ष 2007 में वारिस एवं वर्ग 2 के असंक्रमणीय भूमिधर के अधिकार प्राप्त हुए तथा निगरानीकर्ता दशको से पूर्वजो के भूमि पर उक्त भूमि पर काबिज एवं काश्त चले आ रहे है, कथन किया गया है कि प्रतिवादी देवी सिंह द्वारा झूठे कथनों के आधार पर 229बी का वाद योजित कर निगरानीकर्ता की भूमि को हडपने के उद्देश्य से बिना किसी दस्तावेज साक्ष्य के आधार पर योजित किया गया है। वाद सं0 41/2022-23 में वादी देवी सिंह द्वारा अकबर अली पुत्र मी0 यामिन को विपक्षी सं0 5 बनाया गया है, न्यायालय के सज्ञान में यह तथ्य लाना अत्यन्त आवश्यक है कि श्री अकबर अली पुत्र स्व0 मी0 यामिन का देहान्त 01.08. 2017 को अवर न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 15.09.2022 से पूर्व ही हो चुका था। जिस कारण आदेश दिनांक 15.09.2022 मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया है जोकि विधि विरूद्ध एवं व्यर्थ है। माननीय न्यायालय के सज्ञान में यह भी लाना है कि किसी न्यायिक कार्यवाही में समस्त आदेश सुव्यक्त एवं सकारण पारित किया जाना आवश्यक है परन्तु अवर न्यायालय का आदेश सुव्यक्त एवं सकारण नही है अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्त के विरूद्ध पारित किया गया है, निगरानीकर्ता द्वारा मा0 सीविल जज जूनियर डी0 विकासनगर देहरादून, वाद सं0 56/2025 शमशाद अली बनाम सन्दीप आदि में आदेश दिनांक 27.02.2025 के द्वारा विपक्षीगण को निगरानीकर्ता के शान्तीपूर्ण अध्यासन व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार

न्यायालय अपर आयुक्त गढ़वाल मण्डल, कैम्प, देहरादून

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2032
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

(5)

का हस्तक्षेप ना करने के आदेश पारित किये गये है, अतः वि0 अधिवक्ता द्वारा निगरानी सुनवाई हेतु ग्रहण कर अपेछित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

वि0 अधिवक्ता की बहस सुनने व निगरानी के साथ प्रस्तुत साक्ष्यों के अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण द्वारा योजित वाद में अवर न्यायालय द्वारा वाद में प्रस्तुतिकरण दिवस पर ही दि0 15.09.2022 को निम्नवत आदेश पारित किये गये कि:–

"वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत किया। वादी अधिवक्ता के द्वारा वाद पत्र के साथ धारा 80(2) सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वादी अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 सी.पी.सी स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त वादी अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत वाद में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया, वादी को उक्त प्रार्थना पत्र पर भी सुना गया, प्रार्थना पत्र अगली नियत तिथि दिनांक 30.09.2022 तक स्वीकार किया जाता है। नियत तिथि दि0 ---.09.2022 तक प्रतिवादीगणो को वादग्रस्त भूमि पर क्रय विक्रय, निर्माण एवं वादग्रस्त भूमि का स्वरूप परिवर्तन करने से प्रतिवादीगणों को निषिद्ध किया जाता है। वादी आदेश 39 नियम 03 का अनुपालन करेंगे। वाद दर्ज रजिस्ट्रर होवे। प्रतिवादीगणों को नोटिस जारी होवे। पत्रावली वाद तामिल दिनांक 30.09.2022 को पेश होवे।"

उक्त आदेश के परिशीलन से स्पष्ट है कि अवर न्यायालय का आलोच्य आदेश पारित करने से पूर्व निगरानीकर्ता को सनुवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है,जोकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। एवं किसी मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही/आदेश पारित किया जाना विधि विरूद्ध है।

(20रु. Rs.20 COURT FEE INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES — CANCELLED)

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आलोक में निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार कर अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 15–09–2022 के प्रभाव को अग्रीम आदेश तक स्थगित किया जाता है। अवर न्यायालय की पत्रावली को तलब कर विपक्षीगण को नोटिस जारी हो, पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 30.06.2025 को पेश हो।

cf-1
१-२०

(न्यायालय अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी)

अपर आयुक्त,
गढ़वाल मण्डल,पौड़ी।

सत्यापित 28/05/2025

पेशकार
अपर आयुक्त
गढ़वाल मण्डल

प्रतिलिपिकार........✓
तुलनाकार........✓
...दिनांक 27-05-2025
प्रार्थना पत्र देने की तिथि 28-05-25
नकल जारी करने की तिथि 28-05-25

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Regd. No. 19(01)2002
UTTARAKHAND (INDIA)

प्रेषक,

जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी,
देहरादून।

प्रेष्य,

श्रीमती प्रतिमा शर्मा,
क्षेत्र पंचायत सदस्य,
हरियावाला कला, सहसपुर, देहरादून।
मो0नं0– 8958481543

पत्रांक: 543/विविध/2024–25 दिनांक: 15 मई, 2024

विषयः **जिला योजना योजना के अन्तर्गत ग्राम चौकी में सी0सी0 सड़क निर्माण के संबंध में।**

महोदय,

आपके द्वारा दिनांक: 15.05.2024 को प्रेषित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त अवधि वर्ष 2016–17 की जिला योजना में **"ग्राम चौकी के गांव में सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य"** स्वीकृत हुयी थी जिसकी अनुमोदित लागत रू0 3.00 लाख है।

अतः सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नः जिला योजना वर्ष 2016–17 की छायाप्रति।

भवदीय

जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी
देहरादून।

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No. 19(01)2002
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

2024
AFFIDAVIT
43088
DISTRICT COURT
UTTARAKHAND
₹ 1/-

9

(28)

Before the Hon'ble Board of Revenue, Uttarakhand at Dehradun

Misc. Revision of 2024

Aparna Explosive & others
Versus
Smt. Pratima Sharma

Affidavit of Aparna Explosive through its partner proprietor Sh. Kovid Ahuja son of Late Sh. R K Ahuja, 63, Gandhi Road, Dehradun

.....Deponent

I, the Deponent above named do hereby make oath and submit as under:-

1. That the Deponent is the Revisionist in the aforesaid case is as such well aware of the facts deposed hereunder:-

2. That the Deponent hereby verify that the contents of this Revision Petition from para 1, 2p, 3p, 4p, 5 and 9 are true and correct to the best of my personal knowledge and those of para 2p, 3p, 4p, 6, 7 and 8 are as per records and those of para 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and 21 are as per legal advise received by me which I believe to be true and correct and the same be construed as part of this affidavit.

DEPONENT

VERIFICATION:

I, the Deponent above named do hereby verify that the contents of this affidavit from para 1 to 2 are true and correct to the best of my personal knowledge.

Verified at Dehra Dun on this 6 day of July 2024.

DEPONENT

Signed, Sworn & verified before me
by Shri/Smt. Kovid Ahuja
who is identified by Shri. Rajender Singh Adv
6/7/2024
V. L. VERMA (Advocate)
Oath Commissioner, Dehra Dun.

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg. No. 19(01)2002
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

UTTARAKHAND COURT FEE
UKCT1728904E2455M
17-MAY-2024

10

UTTARAKHAND COURT FEE
UKCT1728905F2455M
17-MAY-2024

(24)

Before the Hon'ble Board of Revenue, Uttarakhand at Dehradun

Misc. Revision of 2024

Aparna Explosive & others
Versus
Smt. Pratima Sharma

Sir,

That during the pendency of this revision the operation of order dated 15.06.2024 passed in Case no. 19 of 2023-24 by Additional Commissioner Garhwal Mandal be stayed.

It is therefore, prayed that the operation of order dated 15.06.2024 be stayed.

REVISIONIST

Dated : 6-7
Presented by:

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

ज्ञापन

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय
जनपद देहरादून, उत्तराखंड

महोदय,

ग्राम चौकी के समस्त निवासीगण निवेदन है कि

ग्राम चौकी तहसील विकासनगर जिला देहरादून में एक वर्षो पुराना आम रास्ता श्मशान घाट एवं काश्तकारो की भूमि से होता हुआ खाराखेत एवं सेला गाँव के लिए जाता है , उक्त रास्ता वर्षो से ग्रामवासी उपयोग में लेते आये हैं जिसको ग्रामीणों के सुगम अवागमन हेतु श्री चमन सिंह, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत द्वारा जिला योजना के अंतर्गत पक्की सड़क का निर्माण कराया गया था परन्तु एक बड़े रसूखदार द्वारा अपनी जान पहचान एवं पैसे के बल पर उक्त पक्की सड़क को ध्वस्त कर दिया गया है एवं आये दिन आम रास्ता बाधित कर अतिक्रमण किए जाने के प्रयास किया जा रहा है, परन्तु ग्राम वासियों द्वारा उक्त रस्ते को कभी भी अतिक्रमित होने नहीं दिया है और ना ही कभी होने देंगे चाहे उसके लिए हमें आमरण अनशन ही क्यूँ ना करना पड़ जाए।

अतः आप महोदय से निवेदान है कि प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए न्यायोचित कार्यवाही करने की कृपा करें ताकि ग्रामवासियों का रास्ता बाधित ना हो।

ग्रामवासियों द्वारा संयुक्तहस्तरूप से हस्ताक्षरित

प्रार्थीगण

अंकित
शुभम

समस्त ग्रामवासी
ग्राम चौकी, तहसील विकासनगर

Amit
मनोज कुमार
Aman
सुनील
सत्य प्रकाश

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

देश का विश्वसनीय अखबार

दैनिक भास्कर

ग्रामीणों ने नारेबाजी कर जताया विरोध

विकासनगर। तहसील विकासनगर क्षेत्र के चौकी धौलास में आम रास्ते की बहाली को लेकर मंगलवार को ग्रामीणों ने एकत्रित होकर विरोध जताया। ग्रामीणों ने अपने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर जमकर नारेबाजी की और आम रास्ते को खुलवाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि गांव का पुश्तैनी रास्ता श्मशान घाट के लिए जाता है, जिसको बंद कर दिया है। इसके चलते ग्रामीणों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। स्थानीय व्यक्ति मोनू कुमार ने बताया कि गांव में किसी व्यक्ति की मौत हो जाने पर हमें अपना शमशान घाट छोड़कर दूसरी पंचायत में जाना पड़ता है। जल्द ही मार्ग को नहीं खोला गया तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। इस दौरान अनुज तोमर, मनीष कुमार, अशोक नेगी, अभिषेक कुमार आदि ने जिलाधिकारी औरथाना प्रेमनगर को शिकायती पत्र भेजा।

NOTARY
Raj..der Singh Negi
Advocate
Deh..dun District
Reg.No.19(01)2002
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

धौलास में गांव के रास्ते पर अतिक्रमण, ग्रामीणों का प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, देहरादून: चौकी धौलास क्षेत्र में ग्रामीणों ने कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों पर सार्वजनिक मार्ग क़ब्जाने का आरोप लगाया है। इसके विरोध में ग्रामीणों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने कहा कि जिस मार्ग पर अतिक्रमण किया जा रहा है, वह उनका पुश्तैनी मार्ग है। यह गांव के श्मशान घाट और काश्त की भूमि को जोड़ता है। इसके बाद यह आगे ख़ाराखेत और सेला गांव तक जाता है। पूर्व में जिला योजना के बजट से मार्ग को पक्का भी किया गया था। बड़े पैमाने में मार्ग के सार्वजनिक उपयोग के बाद भी कुछ लोग इस पर गेट लगाकर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि मार्ग पर अतिक्रमण के विरोध में बुधवार को क्षेत्रीय विधायक के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया जाएगा। प्रदर्शन करने वालों में क्षेत्र पंचायत सदस्य मनीष कुमार, अनुज तोमर, पूर्व प्रधान अशोक नेगी, अभिषेक पंवार, अमित पुंडीर, अभय पंवार, जतिन थापा, राकेश राघव आदि शामिल रहे।

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

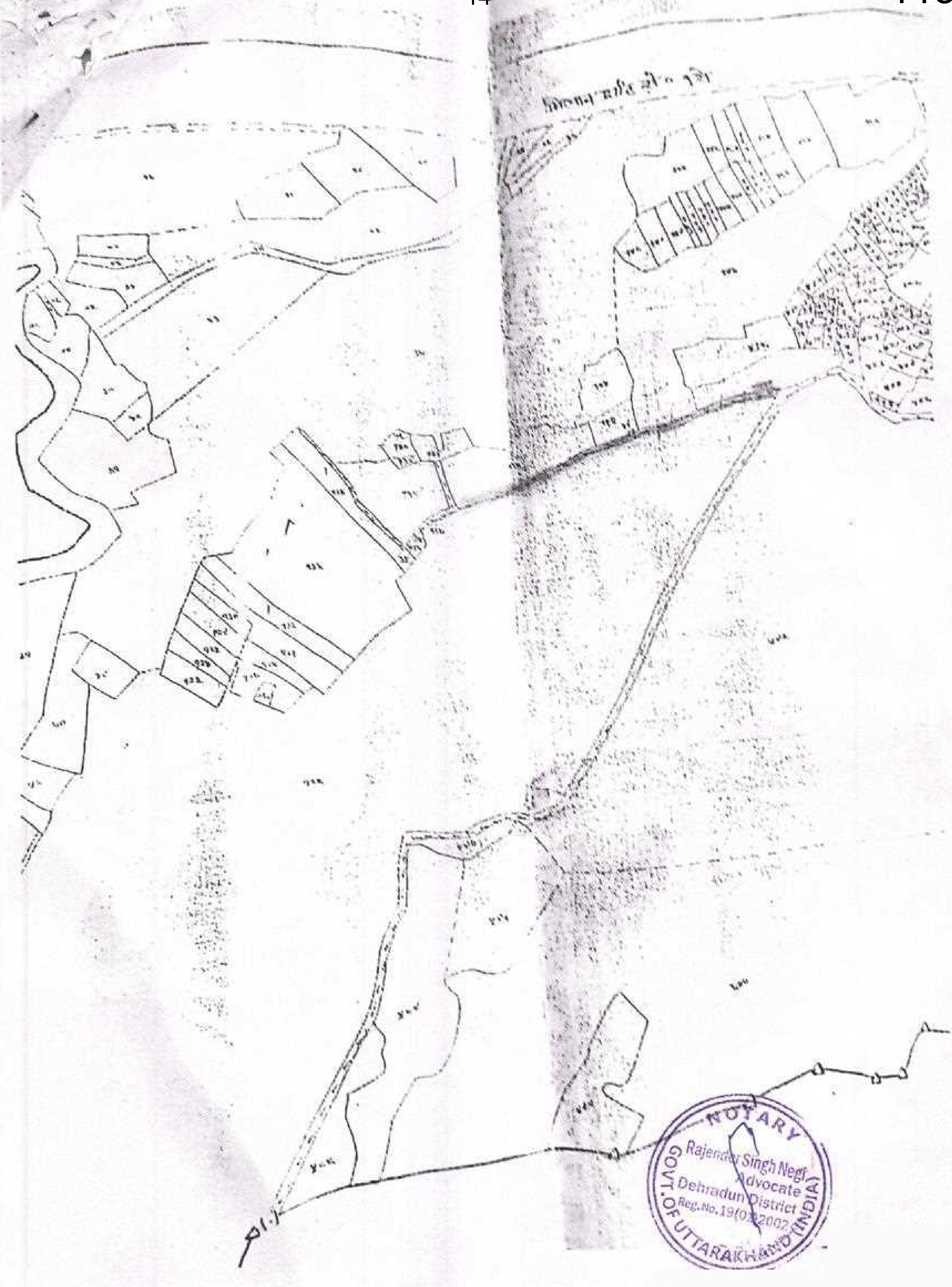

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg. No. 19(0 2002
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

अनुमोदित
06/07/24

Before the Hon'ble Board of Revenue, Uttarakhand at Dehradun

Misc. Revision of 2024

Aparna Explosive & others
Versus
Smt. Pratima Sharma

<u>INDEX</u>

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	Revision	1 – 4
2.	**<u>Annexure – I</u>** Certified copy of order dated 15.06.2024 passed by Additional Commissioner in Case No. 19 of 2023-24	5
3.	**<u>Annexure – II</u>** Certified copy of Plaint in Case No. 19 of 2023-24	6 – 11
4.	**<u>Annexure – III</u>** Certified copy of list of documents filed in Case no. 19 of 2023-24	12
5.	**<u>Annexure – IV</u>** Photo copy of Document No. 2, 3, 7 & 8 filed in list of document	13 – 27
6.	Affidavit	28
7.	Stay Application	29
8.	Affidavit in support of Stay Application	30 – 31
9.	Vakalatnama	32

Dated : 06/07/2024 **REVISIONIST**
Presented by:

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

₹10
UTTARAKHAND COURT FEE
UKCT2124343E2459L
21-MAY-2024

Before the Hon'ble Board of Revenue Uttarakhand at Dehradun

Misc. Revision No. of 2024

1. **Aparna Explosive is a registered Partnership Firm through its partner Sh. Kovid Ahuja son of Late Sh. R.K.Ahuja, 63, Gandhi Road, Dehra Dun.**
2. **Sh. Kovid Ahuja son of Late Sh. R. K. Ahuja resident of 63, Gandhi Road, Dehra Dun**

.......Revisionist

Versus

1. **Smt. Pratima Sharma wife of Sh. Manish Kumar resident of Hariyawala Kala, Tehsil Vikasnagar, Dehradun**

...Respondent

2. **Sh. Amit Ahuja son of Late Sh. Narendra Ahuja resident of Village Pondha, Tehsil Vikasnagar, Distt. Dehradun**
3. **Sh. Anil Sarotiya resident of Pritam Road, Distt. Dehradun**
4. **Forest Officer, Jhajra Range, Distt. Dehradun**
5. **Senior Superintendent of Police, Distt. Dehradun**

.....Performa Respondent

Revision against order dated 15.06.2024 passed in Case No. 19 of 2023-24 by Addl. Commissioner Garhwal Mandal at Dehradun. True and exact copy of order is being annexed as <u>**Annexure – I**</u> of this revision.

Sir,

The Revisionist respectfully submit as under:-

1. That the brief facts of matter is as hereunder:-

₹2 UTTARAKHAND COURT FEE 21-MAY-2024
NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No.19(01)2002 GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

2. That the Respondent No. 1 who is in collusion with Respondent No. 2 & 3 had filed a case praying for relief for injunction.

3. That the Respondent No. 1/Plaintiff had filed the said case against Appellant who were arrayed as Defendant No. 1 & 2 and Respondent No. 2 & 3 who were arrayed as Defendant No. 3 & 4 and who were in collusion with Respondent No. 1 and against Respondent No. 4 & 5.

4. That the said suit was filed claiming that there exist a public road in Khasra No. 137क. The true and exact copy of plaint is being annexed as **Annexure – II** of this revision.

5. That with the said plaint whereas documents were filed by list dated 15.06.2024. The list of document annexed as **Annexure – III** and the photo copy of document no. 2, 3, 7 & 8 on above list are being annexed as **Annexure – IV**, since certified copies of the same have not been given/made available to the Revisionist.

6. That these documents contain an order/final judgment of OS 763 of 2006 whereby the Civil Court had given a categorical finding that the road existing beyond the point in khasra no. 137 is not a public road.

7. That these documents also contain a khatauni of sadak (सडक) which specifically mention that only 137क was road. It also contain a report by Lekhpal whereby the Lekhpal clearly specified that only 137क measuring 0.300 sq mts was road and other batta number were private property.

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg. No. 19(0)2002
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

8. That despite the said documents being on record the learned Additional Commissioner had granted a stay order/injunction order and admitted the plaint, and fixed a date of hearing after virtually 1.5 months.

9. That as the result the Respondent No. 1 in collusion with Respondent No. 2 & 3 has broken the gates in private property of the Appellant, not only this she has also encroached upon an attempted to build a road on reserved forest.

GROUNDS OF REVISION

10. That because no plaint could be entertain by Additional Commissioner and all suits under 229B could be entertained only by Assistant Collector 1st Class.

11. That because no separate suit only for 229D could be entertain.

12. That because the order of the Additional Commissioner entertaining the suit is beyond his jurisdiction and all subsequent orders including the order to register the case is void-ab-initio.

13. That because there is no provision under the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reform Act or Land Revenue Act whereas a suit by a private party in respect of any alleged public road can be

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg. No. 19(01)2002 GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

entertain, the only remedy is either under provisions of Criminal Procedure code or writ.

14. That because no private person can be permitted to break any gates or remove any encroachment or any alleged public roads if even there is any alleged encroachment the same has to be removed by the authorities not private person.

15. That because there was nothing on record showing that whole of khasra no. 137 is public road and the final judgment by the civil court could not have been ignored.

16. That because the order of the Additional Commissioner is against the report of Tehsil also, which was available on file.

17. That because the order dated 15.06.2024 including the order of registering the suit is without jurisdiction and void and liable to be set aside.

18. That because the learned Additional Commissioner without any jurisdiction and going beyond his jurisdiction has entertained the said suit and passed the impugned order.

19. That because the learned Additional Commissioner has exceeded the jurisdiction vested in it.

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(04)2002
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

20. That because the learned Additional Commissioner has committed material irregularity and is liable for misconduct.

21. That because the order dated 15.06.2024 is liable to be set aside and case no. 19 of 2023-24 is liable to be quashed.

REVISIONIST

VERIFICATION:

I, the Revisionist above named do hereby verify that the contents of this revision from para 1, 2p, 3p, 4p, 5 and 9 are true and correct to the best of my personal knowledge and those of para 2p, 3p, 4p, 6, 7 and 8 are as per records and those of para 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and 21 are as per legal advise received by me which I believe to be true and correct.

Verified at 6 on this day of July of 2024.

REVISIONIST

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

2024
AFFIDAVIT
43083
DISTRICT COURT
UTTARAKHAND
₹ 1/-

UTTARAKHAND COURT FEE
17-MAY-2024

Before the Hon'ble Board of Revenue, Uttarakhand at Dehradun

Misc. Revision of 2024

(30)

Aparna Explosive & others
Versus
Smt. Pratima Sharma

Affidavit of Aparna Explosive through its partner proprietor Sh. Kovid Ahuja son of Late Sh. R K Ahuja, 63, Gandhi Road, Dehradun

.....Deponent

I, the Deponent above named do hereby make oath and submit as under:-

1. That the Deponent is the Revisionist in the aforesaid case is as such well aware of the facts deposed hereunder:-

2. That the Deponent has filed the above Revision Petition and for sake of brevity the facts and legal position as contained in Para from para 1, 2p, 3p, 4p, 5 and 9 are true and correct to the best of my personal knowledge and those of para 2p, 3p, 4p, 6, 7 and 8 are as per records and those of para 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and 21 are as per legal advise received by me which I believe to be true and correctand the same be construed as part of this affidavit.

3. That the order against which Revision is being filed was passed on 15.06.2024 and revision is within time.

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

4. That if the operation of order is not stayed, the Revisionist is liable to suffer great loss and injury.

5. That in the interest of justice and equity, it is necessary that the operation of order dated 15.06.2024 be stayed.

DEPONENT

VERIFICATION:

I, the Deponent above named do hereby verify that the contents of this affidavit from para 1 to 5 are true and correct to the best of my personal knowledge.

Verified at Dehra Dun on this 6 day of July 2024.

DEPONENT

Signed, Sworn & verified before me
by Shri/Smt. Kavid Ahuja
who is identified by Shri. Rajasthan Singh Adv

V. L. VERMA (Advocate)
Oath Commissioner, Dehra Dun.

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg. No. 13(01)2002
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

UTTARAKHAND COURT FEE
UKCT1726899E2456M
17 MAY 2024

₹1
UTTARAKHAND COURT FEE
UKCT1726902E2450M
17-MAY-2024

VAKALATNAMA

In the Court of Board of Revenue Uttarakhand at Revision No of 2024

Aparna Explosive & others

VERSUS

Smt. Pratima Sharma ....Defnt./Repdt.

Know all to whom these present shall come that I/We Aparna Explosive through its partner Sh. Kovid Ahuja and (2) Sh. Kovid Ahuja s/o late Sh. R.K. Ahuja R/o 63, Gandhi Road, Dehradun the above named ....do hereby appoint SHRI RAJESHWAR SINGH, Advocate (hereinafter called the Advocate/s) to be Sh. CM Aswal, Sh. Diwas Subha, Sh. Pratik Bhatia, Sh. Amitabh Sharma, Sh. Ashutosh Gussain, Sh. Mohit, Sh. Arvind, Sh. Amit Chaudhary, Sh. Abhishek Bhandari my/our Advocate in the above noted case and authorized him:-

To act, appear and plead in the above noted case in this Court or in any other Court in which the same may be tried or heard and also in the appellate Court including High Court subject to payment of separate fee each court by me/us.

To sign, file verify and present pleadings, appeals cross-objections or petitions for executions, review, revision, withdrawal, compromised or other petitions or affidavits or other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said case in all its stages.

To file and take back documents.

To withdraw or compromise the said case or submit to arbitration, any differences or disputes that may arise touching or in any manner relating to the said case.

To take execution proceedings.

To deposit draw and receive money, cheques, cash and grants receipts here of and to do all other acts and things which may be necessary to be done for the progress and in the course of the prosecution of the said case.

To appoint and instruct any other Legal Practitioner authorizing him to exercise the power and authority hereby conferred upon the Advocate whenever he may think fit to do so & to sign the power of attorney on our behalf.

And I/we the undersigned do hereby agree to ratify and confirm all acts done by the Advocate or his substitute in the matter as my/our own acts, as if done be me/us to all intents and purpose.

And I/we undertake that I/we or my/our duly authorized Agent would appear in court on all hearings & will inform the Advocate for appearance when the case is called.

And I/we undersigned do hereby agree not to hold the advocate or his substitute for the result for the said case in the consequence of his absence from the court when the said case is called up for hearing, or for any negligence of the said Advocate or his substitute. The adjournment costs whenever ordered by the Court shall be of the Advocate which he shall receive and retain for himself.

And I/we the undersigned do hereby agree that I/we shall pay sum of Rupees .... for appearance on every date fixed in court and all actual expenses as incurred.

And I/we the undersigned do hereby agree that in the event of the whole or part of the fee agreed by me/us to be paid to the Advocate remaining unpaid he shall be entitled to withdraw from the prosecution of the said case until the same is paid if any costs are allowed for an adjournment, the Advocate would be entitled to the same. The entitled for the refund of the same in any case whatsoever.

IN WITNESS WEHRE OF I/we do here into set my/our hand to these presents the contents of which have been understood by me/us on this 06 day of July 2024

Client　　　　　　　　　　　　　　　　Client

Accepted subjected to the terms of fees.

C.M. Aswal (Adv) UP 3955/99

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg. No. 19(01)2002 UTTARAKHAND (INDIA)

RAJESHWAR SINGH
ADVOCATE

Amitabh Sharma UK 764/16

UP 10240/07

UK 431/2021

C.M.

सर्वेक्षण प्रपत्र–चौदह

(नियम 30 देखिए)

पुनरीक्षित खसरा

ग्राम धौली परगना पछवाडून तहसील विकासनगर जिला देहरा

नई संख्या	क्षेत्रफल	पुरानी संख्या	क्षेत्रफल	पुनरीक्षित खतौनी की खाता खतौनी संख्या	अन्तिम बन्दोबस्त का मृदा वर्ग	सिंचाई का स्रोत यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
ग	०.०६६०	६६६मि	०.०६६०	४२	साकरा २ सोमी	
१३५ क	०.०१००	६६२मि	०.०१००	१०	साकरा २ सोमी	
ख	०.०३००	६६३मि	०.०३००	३३	साकरा १ सोमी	
१३६	०.०४००	६६२मि	०.०४००	८	साकरा २ सोमी	
१३६ क	०.०३००	४०८मि	०.०३००	८१	साकरा २ सोमी	
ख	०.२२००	४०९मि	०.२१००	८४	साकरा २ सोमी	
		६२४मि	०.०१००		साकरा २ सोमी	
ग	०.००४०	६६१मि	०.००४०	८	साकरा २ सोमी	
घ	०.०१००	६४६मि	०.०१००	२	साकरा २ सोमी	
ङ	०.०४६०	६६२मि	०.०१००	१०	साकरा २ सोमी	
		६६६मि	०.०१००		साकरा २ सोमी	
		६६८मि	०.०१००		साकरा १ सोमी	
		६६०मि	०.००६०		साकरा १ सोमी	
		६६२मि	०.०२००		साकरा २ सोमी	
	०.४६८०		०.४६८०			

[signature] [signature]

NOTARY
Rajendra Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(07)2002
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

सर्वेक्षण लेखपाल सर्वेक्षण कानूनगो सर्वेक्षण ना

न्यायालय : प्रथम अपर सिविल जज, (जू0डि0), देहरादून।

पीठासीन अधिकारीः— श्वेता राणा चौहान

दीवानी वाद संख्या—763 / 2006

सी0जी0सी0नं0—2721 / 2013

1. श्री गंभीर सिंह पुत्र स्व0 श्री इन्दर सिंह निवासी — ग्राम चौकी, पो0 ओ0 घंघोड़ा तहसील विकासनगर जिला देहरादून।

2. श्री अनिल श्रोतिया पुत्र स्व0 श्री उत्तम कुमार निवासी—प्रीतम रोड देहरादून।

......................वादीगण

बनाम

अर्पणा एक्सप्लोसिव (ब्लास्टिंग मैटिरियल) गोदाम द्वारा इसके स्वामी / मालिक / प्रबंधक / प्रोपराईटर / अधिकारी जो भी हो श्री कोविद आहूजा पुत्र श्री नामालूम..............निवासी—पता नं0 1, ग्राम चौकी, पो0ओ0 घंघोड़ा तहसील विकासनगर जिला देहरादून पता नं0 2—जनरल मोटर्स गांधी रोड़ देहरादून।

..............प्रतिवादी

वादी के विद्वान अधिवक्ताः— श्री मूसा खान

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ताः—श्री राजेश्वर सिंह

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा एवं आज्ञात्मक का अनुतोष प्राप्त करने हेतु न्यायालय में संस्थित किया गया है।

2— संक्षेप में वादपत्र में वादीगण के कथन इस प्रकार हैं कि वादी सं0 1 व 2 ग्राम चोकी एवं सेला चौकी पो0ओ0 घंघोड़ा तहसील विकासनगर जिला देहरादून के निवासी हैं। ग्राम चौकी(धोलार) तहसील विकासनगर तक सभी 20 से 30 फीट चौड़ा मोटर मार्ग बना हुआ है। जिस पर देहरादून से ग्राम चौकी तथा इससे आगे

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19/01/2002
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

3– जिस पर ग्राम सेला चौकी व सेला मजरा व खारा खेत के लोग सदियों से बेरोकटोक आते–जाते है तथा प्रश्नगत रास्ते के अलावा संबंधित गांवों में आने–जाने व आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपनी जीवनचर्या का सामान, पशु, चारा एवं खेती व घरेलू अन्य सामान लाते ले जाते हैं। संबंधित गांवों व गांववासियों के पास प्रश्नगत रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है।

4. प्रश्नगत रास्ता ग्राम खारा खेत को शहर देहरादून व अन्य गांवों से जोड़ता है, जो भारत का एक ऐतिहासिक गांव है। जहां से पूज्य महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ऐतिहासिक नमक आंदोलन जैसा आंदोलन प्रारंभ किया था।

5– राज्य सरकार ने भी कई दशकों से प्रश्नगत रास्ते को बन्दोबस्ती सजरों में दर्शाया है तथा जो कि विभिन्न खसरा नंबरों से होकर गुजरता है। ग्राम चौकी परगना पछवादून जिला देहरादून बन्दोबस्त सन् फसली 1400 में भी प्रश्नगत रास्ते को सरकारी व सार्वजनिक रास्ते के रूप में दर्शाया गया है। प्रश्नगत रास्ते की पूरब दिशा में एक ओर राज्य सरकार की संपत्ति रिजर्व फॉरेस्ट तथा साथ में लगती हुई हजारों की तादाद में घनी आबादी है, जिसमें हजारों की तादाद में मकान मौजूद हैं अर्थात् विद्यमान है। प्रश्नगत रास्ते के उत्तर दिशा में प्रश्नगत रास्ते से लगती हुई प्रतिवादी की भूमि है, जो अर्पणा एक्सप्लोसिव(ब्लास्टिंग मैटिरियल) का गोदाम है तथा प्रश्नगत रास्ते की दक्षिण दिशा में एक ओर रिजर्व फॉरेस्ट व साथ में हजारों की तादाद में आबादी तथा लगता हुआ ग्राम हरियावाला की आबादी व अन्य आबादी है। इस प्रकार प्रश्नगत रास्ता एक सरकारी सार्वजनिक रास्ता है।

6– प्रश्नगत रास्ते की उत्तर दिशा में प्रतिवादी की भूमि है, जो अर्पणा एक्सप्लोसिव(ब्लास्टिंग मैटिरियल) का गोदाम के नाम से है। रास्ते के उत्तर दिशा में ही प्रतिवादी के उक्त गोदाम के साथ प्रतिवादी का गार्ड रूम है।

7– प्रतिवादी प्रश्नगत रास्ते में विधि विरूद्ध निर्माण व सार्वजनिक रास्ते को विधि विरूद्ध गेट द्वारा बंद करने की धमकी की शिकायत थाना स्तर पर की क्योंकि विपक्षी एक बलशाली व्यक्ति है, इसलिए उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई तथा उसके पश्चात् सभी ग्रामवासियों की ओर से एक शिकायत आयुक्त पौड़ी मण्डल को की गयी, जिस पर आयुक्त महोदय ने इन्डोर्समेन्ट कर ए0डी0एम0

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District UTTARAKHAND (INDIA)

गार्डरूम के पास ईंट, बजरी, पत्थर व एक गेट प्रश्नगत सार्वजनिक रास्ते पर विधि विरूद्ध बाहुबल द्वारा निर्माण कर लगाने की तथा सार्वजनिक रास्ते को बंद करने की नीयत से मौके पर लाया गया।

9– दौराने वाद जब उपरोक्त वाद स्थानांतरित होकर विकासनगर चला गया था, तो दुर्भाग्यवश उपरोक्त मूलवाद में पारित अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश को बढ़ाने हेतु प्रार्थनापत्र नहीं दे पाये, तो उपरोक्त वाद में अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश आगे नहीं बढ़ाया गया, जिसका फायदा नाजायज उठाकर प्रतिवादी ने अपने गार्डरूम से पहले एक बहुत बड़े गेट का निर्माण कर गेट लगा दिया। अतः वादी द्वारा वाद योजित करते हुए वाद पत्र याचित अनुतोष दिलाए जाने की याचना की गयी है।

10– इसके विरूद्ध प्रतिवादी द्वारा प्रतिवाद पत्र का0सं0 18ए1/2 लगायत 18ए/6 न्यायालय प्रस्तुत करते हुए वादपत्र के अधिकांश कथनों को अस्वीकार किया है और अतिरिक्त कथन किया है कि प्रतिवादी द्वारा उक्त गेट उसके द्वारा अपने व्यक्तिगत रास्ते पर लगाया गया है, जो कि कई वर्षों से मौजूद है। जिसका इस्तेमाल वह कई वर्षों से कर रहा है। अतः वादी का वाद निरस्त किये जाने योग्य है।

11– वादीगण द्वारा रेप्लिका का0सं0 138ए1/1 लगायत 138ए1/12 न्यायालय प्रस्तुत करते हुए प्रतिवादपत्र के कथनों को अस्वीकार किया है।

12– उभय पक्षकार द्वारा किये गये के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये:–

1. क्या विवादित रास्ता लंबे समय से विद्यमान सार्वजनिक रास्ता है, जिसका प्रयोग वादीगण, गांववाले एवं अन्य लोग लंबे समय से बिना रोकटोक कर रहे हैं ? यदि हां तो प्रभाव ?
2. क्या प्रतिवादी द्वारा अवैध रूप से विवादित रास्ते में अवरोध उत्पन्न कर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है ? यदि हां तो प्रभाव ?
3. क्या विवादित रास्ता प्रतिवादी का व्यक्तिगत रास्ता है ? यदि हां, तो प्रभाव ?
4. क्या वादीगण वान्छित अनुतोष पाने के हकदार हैं ?
5. क्या प्रतिवादी वान्छित अनुतोष पाने का हकदार है ?

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No.19(01)2002 GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

13– वादी की ओर से अपने अभिकथनों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में साक्षी

देहरादून को प्रेषित पत्र की छायाप्रति का0सं0 11सी, अध्यक्ष जिला पंचायत को प्रेषित पत्र की छायाप्रति का0सं0 12सी, जिला पंचायत देहरादून द्वारा जिलाधिकारी देहरादून को प्रेषित पत्र दिनांकित 05.05.2006 की छायाप्रति का0सं0 13सी ,सूची 143सी से न्यायालय सिविल जज(जू0डि0) विकासनगर, देहरादून मूलवाद सं0 763/2006 गंभीर सिंह बनाम अपर्णा एक्सप्लोजिव में पारित आदेश दिनांकित 29. 08.2008 की सत्यापित प्रतिलिपि का0सं0 144सी1/2, अनिल कुमार ने नाम से जारी मेडीकल प्रमाणपत्र की मूल प्रति दिनांकित 31.08.2008 का0सं0 145सी1/1, राजकीय दून चिकित्सालय की मूल पर्ची दिनांकित 23.05.2008 का0सं0 145सी1/2, प्रश्नगत रास्ते के फोटोग्राफ का0सं0 146सी1/1 लगायत 146सी1/13, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रेषित प्रार्थनापत्र दिनांकित 15.09. 2008 की छायाप्रति का0सं0 147सी1/1, दैनिक जागरण अखबार की मूल प्रति दिनांकित 12.09.2008 का0सं0 148सी1/1 ; सूची 150सी1 से प्रश्नगत रास्ते के फोटोग्राफ का0सं0 151सी1 लगायत 155सी1, दैनिक जागरण अखबार की मूल प्रति दिनांकित 16.09.2008 का0सं0 156ए, सूची 159सी1 से दिनांक 29.09.2008 को टी0ए0 दाखिल कर सूचना प्राप्त कर मूल रूप में दाखिल का0सं0 160सी1, सूची 167सी1 से राजस्व सजरा मौजा चौकी परगना पछवादून सन् फसली 1345 की प्रमाणित मूल प्रति का0सं0 168सी1, सूची 172सी1 से चालानी रिपोर्ट दिनांकित 22. 09.2008 की छायाप्रति का0सं0 173सी1, सवाल पता दिनांकित 24.10.2008 की छायाप्रति का0सं0 174सी1, रिपोर्ट चालानी अंतर्गत धारा 107, 116 की छायाप्रति का0सं0 175सी1, सवाल पते की छायाप्रति का0सं0 176सी1/1, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित प्रार्थनापत्र दिनांकित 01.11.2008 का0सं0 177सी1, लगायत नोटिस बजरिये टेलीग्राम दिनांकित 01.11.2008 178सी1/1 लगायत 178सी1/2, रसीद नोटिस बजरिये टेलीग्राम दिनांकित 01.11.2008 की छायाप्रति का0सं0 179सी1 तथा माननीय उच्चतम न्यायालय का न्याय निर्णयन Vareed Jacob Vs. Sosamma Geevarghese & others AIR SC 3992 , सूची 194सी1 से लोक सूचना द्वारा प्राप्त सूचना मूल रूप में पत्रांक 413/रा0लि0–2009 दिनांकित 14.01. 2009 का0सं0 195सी2/1 लगायत 195सी2/3, लोक सूचना द्वारा प्राप्त सूचना मूल रूप में पत्रांक 1865/स्थापना/ 2008–09 दिनांकित 28.01.2009 का0सं0 196सी2/1 तथा प्रमाणित सजरा ग्राम चौकी दिनांकित 05.02.2009 का0सं0

16— प्रतिवादी की ओर से अपने अभिकथनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में सूची 103सी2 से नकल नक्शा ग्राम चौकी परगना पछवादून जिला देहरादून फसली 1345 की प्रमाणित प्रति का0सं0 104सी1/1, नकल नक्शा ग्राम चौकी परगना पछवादून जिला देहरादून फसली 1400की प्रमाणित प्रति का0सं0 104सी1/2, नकल खसरा मौजा चौकी परगना पछवादून तहसील विकासनगर खसरा नंबर 647, 662, 667, 668, 670, 672 फसली 1399 की प्रमाणित प्रति का0सं0 104सी1/3, पुनरीक्षित खसरा ग्राम चौकी परगना पछवादून तहसील विकासनगर की प्रमाणित प्रति का0सं0 104सी1/4, वादग्रस्त रास्ते के फोटोग्राफ का0सं0 104सी1/5 लगायत 104सी1/9, सूची 21 सी 2 से नकल रिपोर्ट दिनांक 02.11.2006/23.11.2006/23.11.2006 लेखपाल/कानूनगो/तह0मौजा चौकी परगना पछवादून तहसील विकासनगर जिला देहरादून का0सं0 21सी2/2 लगायत 21सी2/3, प्रार्थनापत्र दिनांकित 10.08.2006 की प्रमाणित प्रति का0सं0 21सी2/4,सूची 246सी2 उद्धरण खतौनी ग्राम चौकी विकासनगर परगना पछवादून फसली वर्ष 1410—1415 की सत्यापित प्रति का0सं0 247सी2 न्यायालय प्रस्तुत की गयी है।

17— मेरे द्वारा उभय पक्षकार के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया।

निष्कर्ष

18— निस्तारण वाद बिन्दु संख्या—1 व 3

वाद बिन्दु सं0 1 इस सम्बन्ध में विरचित किया गया है कि क्या विवादित रास्ता लंबे समय से विद्यमान सार्वजनिक रास्ता है, जिसका प्रयोग वादीगण, गांववाले एवं अन्य लोग लंबे समय से बिना रोकटोक कर रहे हैं ? यदि हां तो प्रभाव ?

वाद बिन्दु सं0 3 इस सम्बन्ध में विरचित किया गया है कि क्या विवादित रास्ता प्रतिवादी का व्यक्तिगत रास्ता है ? यदि हां तो प्रभाव ?

19. उपरोक्त वाद बिन्दु एक दूसरे से सम्बन्धित होने के कारण सुविधा की दृष्टि से इनका निस्तारण एक साथ किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No.19(01)2002 GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

वाद बिन्दु सं0 1 का सृजन वादीगण के अभिवचनों के आधार पर किया

20— वादीगण द्वारा वर्तमान वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा हेतु योजित किया गया है। जहां तक प्रश्नगत रास्ता, सार्वजनिक रास्ता होने का प्रश्न है, तो यह स्पष्ट है कि वादीगण के द्वारा अपने अभिवचनों में यह अभिकथन किया गया है कि ग्राम चौकी(धोलार) तहसील विकासनगर तक 20 से 30 फीट चौड़ा मोटर मार्ग बना हुआ है, जिस पर देहरादून से ग्राम चौकी तथा इससे आगे सेला चौकी व सेला मजरा व अन्य गांवों में सवारी गाड़ियां से सदियों से बेरोक टोक आज तक आती–जाती है, जो एक सार्वजनिक रास्ता है, तथा प्रश्नगत रास्ते के अलावा संबंधित गांवों में आने–जाने व आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है।

21— ग्राम चौकी परगना पछवादून जिला देहरादून बन्दोस्त सन् फसली 1400 में प्रश्नगत रास्ते को सरकारी व सार्वजनिक रास्ते के रूप में दर्शाया गया है। प्रश्नगत रास्ते की उत्तर दिशा में प्रतिवादी की भूमि है, जो अर्पणा एक्सप्लोसिव गोदाम के साथ प्रतिवादी का गार्डरूम है। प्रतिवादी ने अपने गार्डरूम से पहले एक गेट लगा दिया है।

22— वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में सूची 9सी से उद्धरण नकल नक्शा मौजा चौकी परगना परवादून बन्दोबस्ती नक्शा फसली 1400 की प्रमाणित प्रति का0सं0 10सी, आयुक्त महोदय गढ़वाल कैम्प कार्यालय देहरादून को प्रेषित पत्र की छायाप्रति का0सं0 11सी, अध्यक्ष जिला पंचायत को प्रेषित पत्र की छायाप्रति का0सं0 12सी, जिला पंचायत देहरादून द्वारा जिलाधिकारी देहरादून को प्रेषित पत्र दिनांकित 05.05.2006 की छायाप्रति का0सं0 13सी तथा सूची 167सी1 से राजस्व सजरा मौजा चौकी परगना पछवादून सन् फसली 1345 की प्रमाणित मूल प्रति का0सं0 168सी1 न्यायालय प्रस्तुत की गयी है।

23— इसके विपरीत प्रतिवादी द्वारा अपने प्रतिवादपत्र/प्रतिदावा का0सं0 18ए में अभिकथन किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा उक्त गेट उसके द्वारा अपने व्यक्तिगत रास्ते पर लगाया गया है, जो कि कई वर्षों से मौजूद है। जिसका वह इस्तेमाल कर रहा है। प्रतिवादी ने 6 फिट चौडे व्यक्तिगत रास्ते का निर्माण अपने निजी जरूरतों के लिए किया है, जिस पर उसने गेट लगाया है।

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg. No. 19(01)2002
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

24— प्रतिवादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में सूची 103सी2 से नकल नक्शा ग्राम चौकी परगना पछवादून जिला देहरादून फसली 1345 की प्रमाणित प्रति का0सं0

1399 की प्रमाणित प्रति का0सं0 104सी1/3, पुनरीक्षित खसरा ग्राम चौकी परगना पछवादून तहसील विकासनगर की प्रमाणित प्रति का0सं0 104सी1/4, वादग्रस्त रास्ते के फोटोग्राफ का0सं0 104सी1/5 लगायत 104सी1/9 तथा सूची 21सी2 से नकल रिपोर्ट दिनांक 02.11.2006/ 23.11.2006/ 23.11.2006 लेखपाल/कानूनगो/तह0मौजा चौकी परगना पछवादून तहसील विकासनगर जिला देहरादून का0सं0 21सी2/2 लगायत 21सी2/3, प्रार्थनापत्र दिनांकित 10.08.2006 की प्रमाणित प्रति का0सं0 21सी2/4 न्यायालय प्रस्तुत की गयी है।

25— प्रस्तुत मामले में वादी द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में पी0डब्लू0–1 अनिल श्रौतिया को परीक्षित कराया गया है।

26— वादी के साक्षी पी0डब्लू0–1 अनिल श्रौतिया ने अपने वादपत्र के कथनों का समर्थन किया है तथा प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि यह दावा हमने व्यक्तिगत हैसियत से प्रस्तुत किया है। जमीन की कोई खतौनी या मल्कियत का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। यह कहना सही है कि हमने यह नहीं लिखा कि हमारी कौन सी जमीन है किस खसरे में है और कहां है। वह विवादित रास्ते का खसरा नंबर नहीं बता सकता। विवादित रास्ते की कोई उसने दाखिल नहीं की है। जिस आर0टी0आई0 सूचना का उसने अपने शपथपत्र में जिक्र किया है, वह पत्रावली पर का0सं0 195 सी है। रिपोर्ट का0सं0 195 सी/2 में रास्ते का वर्णन है, परन्तु सार्वजनिक रास्ता नहीं लिखा है। सजरे में रास्ता दिया है, उसने 1345 फसली एवं 1400 फसली के सजरे नहीं देखे हैं। तहसील के रिकॉर्ड का निरीक्षण उसने नहीं किया।

27— डी0 डब्लू0–2 श्री हुकमचन्द्र पाल लेखपाल ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि श्री कोविद अहुजा की अर्पणा बारूद गोदाम में अन्य सहखातों सहित कुल भूमि डेढ हैक्टेयर से अधिक है। पहले सड़क पर ग्राम समाज पड़ता है, फिर बीच में वन विभाग, फिर काश्तकार लोग हैं। इस सड़क का क्या नाम है, उसकी जानकारी में नहीं है। जांच के समय उसके पास मौके पर जांच स्थल का सजरा था। सरकारी सजरे में जो सड़कें दिखायी जाती हैं, वह सरकारी भी होती हैं और निजी भी होती हैं, इन्हें शामिल जोत भी कहते हैं। प्रश्नगत रास्ते का वह भाग, जो ग्राम समाज व वन विभाग का है, उसके बाद कोविद आहुजा की भूमि है व आदि की भूमि है। यह बात सही है कि सजरे में खसरा नंबर लिखा होता है। यह नहीं

NOTARY Rajinder Singh Negi Advocate Dehradun District Regd. No. 29(01)2002 GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

अमीन की आख्या का0सं0 121ए2/1 प्रस्तुत की गयी है। अमीन की आख्या का0सं0 121ए2/1 इस प्रकार है कि स्थल निरीक्षण पर पाया गया कि ग्राम सेला तक पहुंचने के लिए भिगोली ग्राम से मार्ग बना हुआ है। स्थल निरीक्षण के दौरान विवादित रास्ता किसी भी ग्रामवासी द्वारा आवागमन के लिए प्रयोग किया जाता हुआ नहीं पाया गया।

29— प्रतिवादी द्वारा प्रश्नगत रास्ते के संबंध में लेखपाल की आख्या का0सं0 21सी2/2 प्रस्तुत की गयी है। लेखपाल की आख्या 21सी2/2 इस प्रकार है कि भूमि खसरा 137 जिसका बिन्दुवार आख्या उपरोक्त बिन्दुवार स्थलीय निरीक्षण कर नजरिये नक्शे में संकेतवार दर्ज कर दर्शा दी गयी तथा उक्त में प्रत्येक स्वामित्व वाले का अपनी—अपनी भूमि पर काबिज हैं। प्रार्थी की कोविद आहुजा जो अर्पण एक्पलोजिव का प्रबंधक है, के नाम व अपने नाम खसरा सं0 137 में कुल रकबा 0. 1340 हैक्टेयर शामिल जोत रास्ता है तथा वह उसमें अपने गोदाम में आने—जाने में प्रयोग करता है तथा उपरोक्त रास्ता किसी अन्य के उपयोग वर्तमान में नहीं ग्राम सेला व खारा खेत के लोग पैदल के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। यह रास्ता शामिल जोत के अंतर्गत आता है तथा निजी प्रयोग आ रहा है। इसकी लंबाई 186मीटर है। लेखपाल की आख्या का0सं0 21सी2/2 से यह तथ्य भी स्पष्ट नहीं होता है कि रास्ता सार्वजनिक या व्यक्तिगत रास्ता है।

30— यद्यपि वादी सार्वजनिक रास्ता होने का कथन करते हैं, किन्तु उसके द्वारा ग्राम सभा के किसी पदाधिकारी अथवा संबंधित लोक सेवक को परीक्षित नहीं कराया गया है। वादी के पास पर्याप्त अवसर थे, कि वे स्वयं अथवा न्यायालय के माध्यम से ऐसे साक्षी को न्यायालय में उपस्थित कराकर अपने कथनों के समर्थन में परीक्षित करा सकते थे। वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया है, जो यह साबित करता हो कि प्रश्नगत रास्ता सार्वजनिक रास्ता है।

31— वादी ने अपने कथनों के समर्थन में सूची का0सं0 194सी1 से लोक सूचना द्वारा प्राप्त सूचना मूल रूप में पत्रांक 413/रा0लि0—2009 दिनांकित 14.01.2009 का0सं0 195सी2/2 जो निम्नवत है:— उपरोक्त ग्राम चौकी तिराहा से कच्चा मोटर मार्ग जो खारा खेत व सेला को जोड़ता है। वह संलग्न राजस्व नक्शे में पीले रंग से चिन्हित कर दिया है। उपरोक्त कच्चे मोटर मार्ग की लंबाई 1750 मीटर है तथा चौढाई लगभग 20 फिट है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि सूचना के

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District UTTARAKHAND (INDIA)

32– वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में का0 सं0 10सी नकल बन्दोबस्ती नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त नक्शे से यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह सार्वजनिक रास्ता है या व्यक्तिगत रास्ता है। यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि प्रतिवादी ने गेट सार्वजनिक रास्ते में लगाया है या व्यक्तिगत रास्ते में लगाया है।

33– वादी द्वारा प्रस्तुत सजरा में लाल रंग से जो रास्ते को दर्शाया गया है, इस नक्शे में प्रतिवादी की संपूर्ण संपत्ति का विवरण अंकित नहीं है। चूंकि विवाद रास्ते से संबंधित है, ऐसे में पत्रावली पर वादी ने कोई प्रमाण नहीं दिया है, जिससे स्पष्ट होता हो कि प्रतिवादी द्वारा उक्त रास्ते को किस प्रयोजन हेतु प्रयोग में लाया जा रहा है। लेखपाल की आख्या तथा आर0 टी0 आई के माध्यम से प्राप्त सूचना में रास्ते की लम्बाई में विभिन्नता है।

34– वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में जो दस्तावेज पत्रावली पर दाखिल किये हैं इसके अतिरिक्त वादी द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में अनिल श्रोतिया का शपथपत्र दाखिल किया है। वादी के कथनों के अतिरिक्त पत्रावली पर ऐसा कोई सारवान साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे वादी के कथनों पर विश्वास किया जा सके।

35–जहां तक विवादित रास्ता प्रतिवादी का व्यक्तिगत रास्ता होने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में प्रतिवादी द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र में यह अभिकथन किया है कि प्रश्नगत रास्ता उसका व्यक्तिगत रास्ता है, जिस पर उसके द्वारा गेट का निर्माण किया गया है।

36– प्रतिवादी के साक्षी डी0डब्लू0–1 कोविद आहुजा ने अपनी मुख्य परीक्षा में अपने प्रतिवादपत्र/प्रतिदावा के कथनों का समर्थन किया है व प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि उसके गोदाम की भूमि के कितने बैनामे है, उसे याद नहीं। उसे अपने गोदाम की भूमि के खसरा नंबर मालूम नहीं हैं। उसके उपरोक्त गोदाम की कुल भूमि लगभग 45 बीघा है। गार्डरूम के सामने उसका रास्ता है। जहां 7 फिट का रास्ता खत्म होता है, वहां पर फारेस्ट का पिलर है। उसके गोदाम में ग्राम मौके के आसपास दो गांव ग्राम खारा खेत व ग्राम सेला भी है। कागज सं0 10 सी0 1 में लाल रंग से दर्शित रास्ता मौके पर मौजूद है। स्वयं कहा कि उक्त रास्ता मेरे द्वारा स्वयं के लिए तैयार किया गया। नक्शे में लाल रंग से दर्शित प्रश्नगत रास्ता उसने अपनी भूमि में बनाया था। उक्त रास्ता 6.7 फिट चौडा है।

NOTARY Rajendra Singh Negi Advocate Dehradun District UTTARAKHAND (INDIA)

<u>प्रतिवादी का व्यक्तिगत रास्ता है अथवा नहीं। इसको साबित करने के लिए उसके द्वारा विक्रयपत्र या अन्य कोई प्रपत्र दाखिल नहीं किया गया है जिससे रास्ते की सही स्थिति स्पष्ट हो सके। लेखपाल द्वारा दी गयी आख्या से भी यह स्पष्ट नहीं है कि रास्ता सार्वजनिक है या व्यक्तिगत।</u>

38– इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह तथ्य साबित नहीं होता है कि प्रतिवादी प्रश्नगत रास्ते का स्वामी है। यह तथ्य भी साबित नहीं होता है कि प्रश्नगत रास्ता कितना चौड़ा है तथा कितने वर्ष पूर्व से व्यक्तिगत तौर पर इस्तेमाल में लाया जा रहा है। प्रतिवादी द्वारा अपने प्रतिवादपत्र एवं प्रतिदावे में कथन किया है कि उक्त व्यक्तिगत रास्ता वह 20 वर्ष से ज्यादा से इस्तेमाल में ला रहा है। इस सम्बन्ध में प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे साबित हो सके कि वह उक्त रास्ते को बीस वर्षों से इस्तेमाल कर रहा है।

39– उपरोक्त परिस्थितियों में वादी इस तथ्य को साबित करने में असफल रहा है कि प्रश्नगत रास्ता सार्वजनिक रास्ता है। तद्नुसार वाद बिन्दु सं0 1 वादी के विरूद्ध निस्तारित किया जाता है तथा <u>प्रतिवादी द्वारा किए गए अभिकथन पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।</u> तद्नुसार <u>वाद बिन्दु सं0 3 प्रतिवादी के विरूद्ध नकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाता है।</u>

<u>40– निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–2</u>

वाद बिन्दु सं0 2 इस सम्बन्ध में विरचित किया गया है कि क्या प्रतिवादी द्वारा अवैध रूप से विवादित रास्ते में अवरोध उत्पन्न कर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है ? यदि हां तो प्रभाव ?

<u>इस वाद बिन्दु का सृजन वादीगण के अभिवचनों के आधार पर किया गया है। अतः इसकी सिद्धि का भार भी वादीगण पर है।</u>

<u>**41–** वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में अभिकथन किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा उक्त सार्वजनिक रास्ते में गेट का निर्माण किया गया है, जबकि इसके विपरीत प्रतिवादी द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र में इस तथ्य को अस्वीकार किया गया है।</u>

<u>**42–** इस संबंध में वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में पत्रावली पर ऐसा कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही वादी की ओर से प्रस्तुत साक्षी के बयान में आया है, जिससे साबित होता हो कि प्रतिवादी द्वारा</u>

NOTARY
[illegible] Singh Negi
Advocate
[illegible] District
Reg. No. [illegible]
UTTARAKHAND (INDIA)

43— ऐसी परिस्थिति में यह न्यायालय इस मत की है कि वादी यह तथ्य साबित करने में असफल रहा है कि प्रतिवादी द्वारा अवैध रूप से विवादित रास्ते में अवरोध उत्पन्न कर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। तद्नुसार वाद बिन्दु सं0 2 वादी के विरूद्ध नकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाता है।

44— निस्तारण वाद बिन्दु संख्या—4

प्रस्तुत वाद बिन्दु इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या वादीगण वान्छित अनुतोष पाने के हकदार हैं ?

चूंकि वादीगण प्रश्नगत संपत्ति के संबंध में सार्वजनिक रास्ता साबित करने में असफल रहे हैं। अतः वादीगण कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं प्रतीत होते। तद्नुसार वाद निरस्त किये जाने योग्य है।

45— निस्तारण वाद बिन्दु संख्या—5

प्रस्तुत वाद बिन्दु इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या प्रतिवादी वान्छित अनुतोष पाने का हकदार है ?

यह वाद बिन्दु प्रतिवादी के अभिवचनों पर आधारित है। अतः इसकी सिद्धि का भार भी प्रतिवादी पर है।

46— चूंकि प्रतिवादी प्रश्नगत रास्ते के संबंध में अपना स्वामित्व तथा अध्यासन साबित करने में असफल रहा है। अतः प्रतिवादी कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी प्रतीत नहीं होते हैं। तद्नुसार प्रतिदावा निरस्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

वादीगण का वाद प्रतिवादी के विरूद्ध निरस्त किया जाता है। प्रतिवादी का प्रतिदावा वादीगण के विरूद्ध खारिज किया जाता है। पक्षकार अपना—अपना वाद व्यय स्वयं वहन करें। तद्नुसार डिक्री तैयार की जाये।

दिनांक : 13.10.2015

(श्वेता राणा चौहान)
प्रथम अपर सिविल जज, (जू0डि0)
देहरादून।

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

उपरोक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, विकासनगर।

संख्या— 634/पी0ए0—2024 दिनॉक 25 जून, 2024

विषयः— **भूमि की पैमाईश विषयक।**

पुलिस क्षेत्राधिकारी
प्रेमनगर।

उपर्युक्त विषयक कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद देहरादून के पत्र संख्या वाचक—05/24 दिनांक जून 03, 2024 पर जिलाधिकारी महोदय देहरादून के पृष्ठांकन आदेश संख्या 2333 दिनांक 05.06.2024 के द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। जिसके द्वारा उल्लेख किया गया है कि संयुक्त टीम द्वारा मौके पर स्थलीय जॉच किया जाना आवश्यक है।

अतः उक्त के क्रम में प्रकरण की संयुक्त जॉच हेतु दिनांक 5/7/2024 समय 11:30 की तिथि नियत की जाती है।

संलग्नकः— यथोपरि।

उप जिलाधिकारी,
विकासनगर।

प्रतिलिपिः— तहसीलदार विकासनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण की संयुक्त जॉच हेतु मौके पर मय अभिलेखों सहित उपस्थित रहना सुनिश्चित करें।

उप जिलाधिकारी,
विकासनगर।

RI (J)
कृ0 नियत तिथि को मय अभिलेख मौके पर उपस्थित रहें।

Rahul
Tahsildar

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg. No. 19(01)2002
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद देहरादून।

पत्रांक:-वाचक-05/24 दिनांक:-जून 03, 2024

जिलाधिकारी
0 JUN 2024
देहरादून

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद देहरादून।

कृपया श्रीमती प्रतिमा शर्मा पत्नी श्री मनीष कुमार निवासी हरियावाला कला तहसील विकास नगर देहरादून के प्रार्थना पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें ग्राम चौकी तहसील विकासनगर जिला देहरादून के खाता खतौनी संख्या 141 के संख्या 137 एवं 146 आदि पर राजस्व अभिलेखों में अंकित वर्षों पुराने आम रास्ते को प्रतिपक्षी कोविद आहूजा एवं अन्य द्वारा अतिक्रमित कर ध्वस्त करने संबंधी आरोप लगाए गए हैं। मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के क्रम में संलग्न प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रकरण के संबंध में तथ्यात्मक जांच हेतु उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा स्थलीय जांच कर तथ्यात्मक जांच आख्या प्रेषित किए जाने की अपेक्षा की गई है।

यह भी संज्ञान में लाना है कि उक्त प्रकरण को लेकर मौके पर शान्ति व्यवस्था भंग होने की संभावना बनी हुई है, जिस कारण मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के क्रम में संयुक्त टीम द्वारा मौके पर स्थलीय जांच किया जाना आवश्यक है।

उक्त के क्रम में जनपद पुलिस की ओर से क्षेत्राधिकारी प्रेमनगर श्रीमती रीना राठौर को नामित किया जाता है, अनुरोध है कि प्रकरण के सम्बन्ध मे अपने स्तर से अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

2333

S.D.M. (V.)

दिनांक 5/6

जिलाधिकारी
देहरादून

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जनपद देहरादून।

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

R
Put up letter

SSP
1/6/24

सेवा में,

1- श्रीमान सचिव महोदय- गृह विभाग , उत्तराखंड शासन
2- श्रीमान सचिव महोदय- राजस्व विभाग, उत्तराखंड शासन
3- श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तराखंड
4- श्रीमान आयुक्त महोदय, गढ़वाल मंडल, उत्तराखंड
5- श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, जनपद देहरादून , उत्तराखंड
6- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद देहरादून, उत्तराखंड
7- श्रीमान उप-जिलाधिकारी, तहसील विकासनगर, देहरादून,उत्तराखंड
8- श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय, थाना- प्रेमनगर, जनपद देहरादून, उत्तराखंड

महोदय,

प्रार्थिनी सविनय निम्न निवेदन करती है:-

यह कि ग्राम चौकी तहसील विकासनगर जिला देहरादून के खाता खतौनी संख्या 141 के संख्या 137 एवं 146 आदि पर राजस्व अभिलेखों में अंकित एक वर्षो पुराना आम रास्ता श्मशान घाट एवं काश्तकारो की भूमि से होता हुआ खाराखेत एवं सेला गाँव के लिए जाता है, जोकि राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 6-2 / सड़क के रूप में अंकित है जोकि ग्राम चौकी के सजरे में भी दर्शित व अंकित है उक्त रास्ता कई दशकों से ग्रामवासी उपयोग में लेते आये हैं ।

यह कि ग्रामीणों के सुगम अवागमन हेतु श्री चमन सिंह, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत द्वारा जिला योजना के अंतर्गत पक्की सड़क का निर्माण कराया गया था परन्तु श्री कोविद अहूजा एवं अन्य भू-माफियाओं द्वारा अपनी जान पहचान एवं पैसे के बल पर उक्त पक्की सड़क को ध्वस्त कर दिया गया है एवं आये दिन आम रास्ता बाधित कर अतिक्रमण किए जाने के प्रयास किया जा रहा है, परन्तु ग्राम वासियों द्वारा उक्त रस्ते को कभी भी अतिक्रमित होने नहीं दिया है एवं वर्तमान में भी उक्त रास्ता ग्रामवासी द्वारा उपयोग में लाया जाता है ।

आपको सादर अवगत कराना है कि पूर्व मे भी दिनांक 14-05-24 को कोविद अहूजा एवं उसके साथियो द्वारा मार्ग को अवरुद्ध करने एवं अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया था जिसके विरोध में ग्रामीणों द्वारा स्थल पर धरना-प्रदर्शन किया गया था जोकि समाचार-पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक समाचार पटल में भी प्रकाशित हुआ है । (प्रति संलग्न है)

दिनांक 15-05-24 को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को ग्राम वासियों द्वारा संयुक्तरूप से एक ज्ञापन दिया गया था जिस पर श्रीमान उप-जिलाधिकारी, विकासनगर द्वारा जांच की जा रही है तथा उक्त जांच के क्रम में ग्राम के पटवारी की आख्या दिनांक 29-05-2024 में भी उक्त रास्ते की पुष्टि की गयी है । (प्रति संलग्न है)

आपको सादर अवगत कराना है कि मा० सीविल जज सी० डी०, देहरादून के वाद संख्या 763 वर्ष 2006 गंभीर सिंह आदि बनाम अपर्णा एक्सप्लोसिव द्वारा कोविद अहूजा में पारित

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg. No. 19(01)2002
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

अंतरिम आदेश दिनांक 13-10-15 में भी कोविद अहूजा / अपर्णा एक्सप्लोसिव उक्त रास्ते पर अपना स्वामित्व एवं अध्यासन साबित करने में असफल रहें है ।

महोदय दिनांक 31-05-2024 की सुबह करीब 9 बजे कोविद अहूजा द्वारा 10-15 लोगो को भेज कर पुनः गेट लगा कर ग्राम वासियों का आम रास्ता बंद करने का प्रयास किया गया परन्तु ग्रामीणों को सूचना मिलते ही सभी ग्राम वासी मौके पर पहुँच कर विरोध किया जिसके बाद उक्त सभी लोग अपना सामान लेकर वहां से भाग गए ।

श्रीमान उक्त कोविद अहूजा द्वारा उत्तराखंड राज्य के कई बड़े-बड़े अधिकारीयों का नाम लेकर ग्रामवासियों को धमकाया गया है कि मेरी पहुँच बहुत गेहरी है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और तुम गाँव वाले अगर इस रास्ते को उपयोग करोगे तो किसी भी झूठे मुकदमें में फसाकर जेल की हावा खिल्वादुंगा ।

महोदय कोविद अहूजा एवं उसके साथी तथा उसके कर्मचारी आय-दिन उपरोक्त रस्ते / मार्ग को कभी ट्रक खड़ा करके, कभी रास्ता लाठी डंडो से बाधित कर, कभी गेट लगाने की मंशा से निरंतर लड़ाई-झगडा करतें रहतें है एवं कोई जो भी उसके खिलाफ बोलता है तो उसको धमकातें है और गाली-गलौच कर मार-पीट आदि भी करते है जिससे गाँव में भय एवं अशांति का माहौल बना रहता है एवं हम सभी ग्रामीणों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है ।

अतः आप महोदय से निवेदान है कि प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए न्यायोचित कार्यवाही करने की कृपा करें तथा सम्बंधित अधिकारी को शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक निर्देश देने की कृपा करें ताकि ग्रामवासियों के मौलिक अधिकारों का हनन न हो तथा आम रास्ता बाधित ना हो ।

संलग्न :

1- खसरा संख्या 137, 146 सजरे की प्रति
2- खाता संख्या 141 की प्रति
3- पटवारी की आख्या दिनांक 29-05-2024
4- सीविल न्यायालय वाद संख्या 763 वर्ष 2006 के आदेश की प्रति
5- विवादित स्थल की फोटो
6- समाचार-पत्रों की प्रति
7- जिला योजना सड़क निर्माण योजना की प्रति

प्रार्थिनी

प्रतिमा शर्मा पत्नी श्री मनीष कुमार
...लां, तहसील विकासनगर, दे० दून

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg. No. 19(01)2002
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

महोदय

संलग्न प्रार्थनापत्र श्री अजय, शुभम, मनीषकुमार आदि समस्त निवासीगण चौकी तहसील विकासनगर जिला देहरादून बाबत आमरास्ते पर अतिक्रमण किये जाने का प्रयास किये जाने के सम्बन्ध में जाँच आख्या निम्न प्रकार है।-

1:- ग्राम चौकी परगना पछुवादून तहसील विकासनगर जिला देहरादून के भूमि खसरा नम्बर 137 पर सड़क राजस्व शजरे में दर्शित है तथा स्थल पर वर्तमान में भी सड़क गतिमान/प्रयोग में लाई जा रही है।

2:- भूमि खसरा नम्बर 137 का कुल क्षेत्रफल 0.3570 है राजस्व अभिलेख में अंकित है। खसरा नम्बर विभिन्न खण्डों 137क, 137ख, 137ग 137घ, 137ड़, 137च व 137छ में विभक्त है। खाता संख्या 141 के भूमि खसरा नम्बर 137क/0.0300 है भूमि श्रेणी 6(2) के रूप में सड़क के नाम से तथा खाता संख्या 136 के भूमि खसरा नम्बर 137ख/0.2200 है भूमि श्रेणी 5-3-क-1 के रूप में जंगलात विभाग के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित है।

3:- भूमि खाता संख्या 24, 25 व 13 के भूमि खसरा नम्बरों 137ग/0.0050, 137ड़/0.0570 व 137छ/0.0100 है कुल 0.0720 है भूमि कोविन्द आहूजा पुत्र आर.के. आहूजा नि. 12 म्युनिसपल रोड दे.दून के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर, खाता 6 के भूमि खसरा नम्बर 137घ/0.0100 है भूमि अपरना एक्सक्लोसिव 63 गाधी रोड दे.दून द्वारा एस. एस. आहूजा के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर तथा खाता संख्या 5 के भूमि खसरा नम्बर 137च/0.0250 (.0250 है) भूमि अनिल सरोतिया पुत्र उत्तम कुमार नि. प्रीतम रोड दे.दून के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर राजस्व अभिलेखों में अंकित है।

क्रमशः 2 पर

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

4:- इस प्रकार भूमि खसरा नम्बर 137 मे 0.2500 है भूमि सड़क व वन विभाग तथा 0.1070 है भूमि भूमिधरी भूमि राजस्व अभिलेखो मे अंकित है।

5:- भूमि खसरा नम्बर नम्बर 137क/.0300 है भूमि श्रेणी 6(2) सड़क के नाम है के साथ लगते हुए भूमि खसरा नम्बर 146 के खण्ड 146ग/.0600 है भूमि भी राजस्व अभिलेखो मे श्रेणी 6(2) सड़क के नाम अंकित है।

6:- ग्रामीणो का कथन है कि भूमि खसरा नम्बर 137 पर बने रास्ते को इस ख.न. के सहखातेदार अतिक्रमित करने का प्रयास करते है। जिससे ग्रामीणो व उनके मध्य वाद विवाद की सम्भावना बनी रहती है। ग्रामीणो द्वारा इस भूमि पर पूर्व मे चले दीवानी वाद संख्या 763/2006 सी.जी.सी.न. 2721/2013 के आदेश की छाया प्रति (अप्रमाणित) संलग्न की है जिसमे गम्भीर सिंह पुत्र स्व. इन्द्र सिंह अनिल श्रोत्रिय पुत्र स्व. उत्तम कुमार बनाम अर्पणा स्वसल्लोसिव (प्लास्टिक मैटेरियल) गोयल द्वारा स्वामी श्री को सिंह आहूजा मे पारित निर्णय आदेश दिनांक 13.10.2015 के अनुसार वादीगण का वाद प्रतिवादी के विरुद्ध निरस्त एवं प्रतिवादी का प्रतिदावा वादीगण के विरुद्ध खारिज किया गया है।

- स्थल पर ग्रामीणो व ख.न. 137 के सहखातेदारो के मध्य सड़क के अतिक्रमण की आशंका को लेकर विवाद बना है जिससे भविष्य मे मारपीट आदि/शान्तिभंग की आशंका उत्पन्न हो सकती है। ग्रामीणो द्वारा विरोध प्रदर्शन के समाचारो की छाया प्रतियां (समाचार पत्र) भी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न की है।

आख्या उचित कार्यवाही हेतु सेवा मे प्रेषित है।

29/5/2024

मनोज मिश्रा
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र [illegible]
तहसील विकासनगर देहरादून

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
[illegible](01)2002
GOVT. UTTARAKHAND (INDIA)

महोदय

संलग्न प्रार्थना पत्र श्रीमती प्रतिमा शर्मा पत्नी श्री मनीष कुमार निवासी हरियावाला कला व श्री अशोक नेगी पुत्र स्व श्री शम्भु सिंह नि ढोलास एक ही विषय से सम्बन्धित है जिसमें प्रार्थीगणों द्वारा ग्राम चौकी परगना पछवादून तहसील विकासनगर जिला देहरादून

821 के भूमि खसरा नम्बर 137 से विपक्षी कोविन्द आहूजा द्वारा आम रास्ते

907 पर किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने एवं मौके पर शान्ति व्यवस्था

908 बनाये रखने की प्रार्थना की है। प्रकरण पर पूर्व में दिनांक 27/5/2024 को आख्या प्रेषित की जा चुकी है पूर्व प्रेषित आख्या छायाप्रति संलग्न है। इसी प्रकरण पर माननीय न्यायालय अपर आयुक्त गढ़वाल मण्डल कैम्प देहरादून में योजित वाद संख्या 19/2023-2024 प्रतिमा शर्मा बनाम अपर्णा एक्सक्लोसिव में मा न्यायालय के आदेश / तहसीलदार विकासनगर महोदय के मौखिक आदेश के क्रम में पुलिस बल के साथ स्थलीय जांच की गई थी जाँच आख्या छायाप्रति संलग्न है। न्यायालय राजस्व परिषद में एक निगरानी अपर्णा एक्सक्लोसिव बनाम श्रीमती प्रतिमा शर्मा वर्तमान में गतिमान है मा न्यायालय के आदेश दिनांक 23.7.2024 की छायाप्रति संलग्न है। भूमि खसरा नम्बर 137 राजस्व शजरे में सड़क के रूप में दर्शित है जिसके भूमिधरी भूमि, वन विभाग व रास्ता राजस्व अभिलेखों में अंकित है। ग्रामीण / प्रार्थीगण इसी रास्ते पर अतिक्रमण किये जाने की शिकायत कर रहे हैं। वर्तमान में शजरे में भूमि खसरा नम्बर 136 के अन्तिम सिरे पर रास्ता भूमि खसरा नम्बर 134 की सीमा के साथ दर्शित है जिस स्थान पर तारबाड लगी है तथा भूमि खसरा नम्बर 122 जो वन विभाग की सीमा में है से एक रास्ता चल रहा है। उपरोक्त फोटोग्राफ भी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

आख्या उचित कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित है।

454
8/11/24

(हस्ताक्षर)
8/11/2024

मनोज मिश्रा
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र ... (अति)
तहसील विकासनगर देहरादून

प्र प्रतिलिपि

(हस्ताक्षर)
उप जिलाधिकारी
तहसील-विकासनगर
देहरादून
दिनांक— 20/11/24

महोदय
— राजस्व उपनिरीक्षक आख्या आख्या प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
13/11/2024

Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

Email- sdm.vikasnagar@gmail.com

(प्रपत्र–10)

अनुरोधकर्ता को सूचना देने संबंधी प्रपत्र

कार्यालय लोक सूचना अधिकारी / उप जिलाधिकारी, विकासनगर।

संख्या– 763 / पी0ए0 / सू0का0अ0–2024 दिनॉक 20 दिसम्बर, 2024

विशयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध मे।**

श्री मनीष कुमार पुत्र स्व0 श्री दर्शन लाल
निवासी हरियावालाकलां जिला देहरादून।(मो0नं0– 8958481543)

उपरोक्त विषयक सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत आपका अनुरोध पत्र दिनांक 28.11.2024 जो इस कार्यालय में दिनांक 05.12.2024 को प्राप्त हुआ है का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके अनुरोधपत्र में चाही गयी सूचना में उल्लेखित पत्र में तहसीलदार विकासनगर के द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित है।

यदि आप दी गयी उपरोक्त सूचना से संतुष्ट न हों तो इस विभाग के प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्न है से इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अपील कर सकते हैं।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

प्रथम अपीलीय अधिकारी

लोक सूचना अधिकारी /
उप जिलाधिकारी।
विकासनगर।

अपर जिलाधिकारी (प्र0),
देहरादून।

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
GOVT. OF UTTARAK...(INDIA)

महोदय

संलग्न प्रार्थनापत्र श्री अकरम, गुलाम, सतीषकुमार आदि समस्त निवासीगण चौकी तहसील विकासनगर जिला देहरादून बाबत आम रास्ते पर अतिक्रमण किये जाने का प्रयास किये जाने के सम्बन्ध में जाँच आख्या निम्न प्रकार है:-

1:- ग्राम चौकी परगना पछवादून तहसील विकासनगर जिला देहरादून के भूमि खसरा नम्बर 137 पर सड़क राजस्व रिकार्ड मे दर्शित है तथा स्थल पर वर्तमान में भी सड़क गतिमान / प्रयोग में लाई जा रही है।

2:- भूमि खसरा नम्बर 137 का कुल क्षेत्रफल 0.3570 है राजस्व अभिलेख में अंकित है। खसरा नम्बर विभिन्न खण्डो। 137क, 137ख, 137ग 137घ, 137ड़, 137-च व 137छ में विभक्त है। खाता संख्या 141 के भूमि खसरा नम्बर 137क/0.0300 है भूमि श्रेणी 6(2) के रूप में सड़क के नाम से तथा खाता संख्या 136 के भूमि खसरा नम्बर 137ख/0.2200 है भूमि श्रेणी 5-3-क-1 के रूप में जंगलात वन विभाग के नाम राजस्व अभिलेखो मे अंकित है।

3:- भूमि खाता संख्या 24, 25 व 13 के भूमि खसरा नम्बरो 137ग/0.0050, 137ड़/0.0570 व 137छ/0.0100 है कुल 0.0720 है भूमि को बिन्दु काहूजा पुत्र आर.के. काहूजा नि. 12 म्युनिसपल रोड दे.दून के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर, खाता 6 के भूमि खसरा नम्बर 137घ/0.0100 है भूमि अपरना एक्सक्लोसिव 63 गाँधी रोड दे.दून द्वारा एस. एम काहूजा के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर तथा खाता संख्या 5 के भूमि खसरा नम्बर 137-च/0.0250 (0.0250 है) भूमि अनिल सरोलिया पुत्र उत्तम कुमार नि. प्रीतम रोड दे.दून के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर राजस्व अभिलेखो मे अंकित है।

[signature]

क्रमशः 2 पर

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Reg.No.19(01)2002
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

4:- इस प्रकार भूमि खसरा नम्बर 137 में 0.2500 है भूमि सड़क व वन विभाग तथा 0.1070 है भूमि भूमिधरी भूमि राजस्व अभिलेखों में अंकित है।

5:- भूमि खसरा नम्बर नम्बर 137क/0.0300 है भूमि श्रेणी 6(2) सड़क के नाम है के साथ लगते हुए भूमि खसरा नम्बर 146 के खण्ड 146ग/0.0600 है भूमि की राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 6(2) सड़क के नाम अंकित है।

6:- ग्रामीणों का कथन है कि भूमि खसरा नम्बर 137 पर बने रास्ते को इस ख.न. के सहखातेदार अतिक्रमित करने का प्रयास करते हैं। जिससे ग्रामीणों व उनके मध्य वाद विवाद की सम्भावना बनी रहती है। ग्रामीणों द्वारा इस भूमि पर पूर्व में चले दीवानी वाद संख्या 763/2006 सी.जी.सी.न.-2721/2013 के आदेश की छाया प्रति (प्रमाणित) संलग्न की है जिसमें गम्भीर सिंह पुत्र स्व. इन्दर सिंह अनिल सोतिया पुत्र स्व. उत्तम कुमार बनाम अर्पणा एक्सप्लोसिव (प्लास्टिक मैटिरियल) गोदाम द्वारा स्वामी श्री ओ विरुद्ध आहूजा में पारित निर्णय आदेश दिनांक 13.10.2015 के अनुसार वादीगण का वाद प्रतिवादी के विरुद्ध निरस्त एवं प्रतिवादी का प्रतिदावा वादीगण के विरुद्ध खारिज किया गया है।

- स्थल पर ग्रामीणों व ख.न. 137 के सहखातेदारों के मध्य सड़क के अतिक्रमण की आशंका को लेकर विवाद बना है जिससे भविष्य में मारपीट आदि/शान्तिभंग की आशंका उत्पन्न हो सकती है। ग्रामीणों द्वारा विरोध प्रदर्शन के समाचारों की छाया प्रति (समाचार पत्र) भी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न की है।

आख्या उचित कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित है।

(हस्ताक्षर) 29/5/2024

मनोज मिश्रा
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र ई.टी.जी.आ.सा.सक्का (अति)
तहसील विकासनगर देहरादून

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
U.S. OF UTTARAKHAND (INDIA)

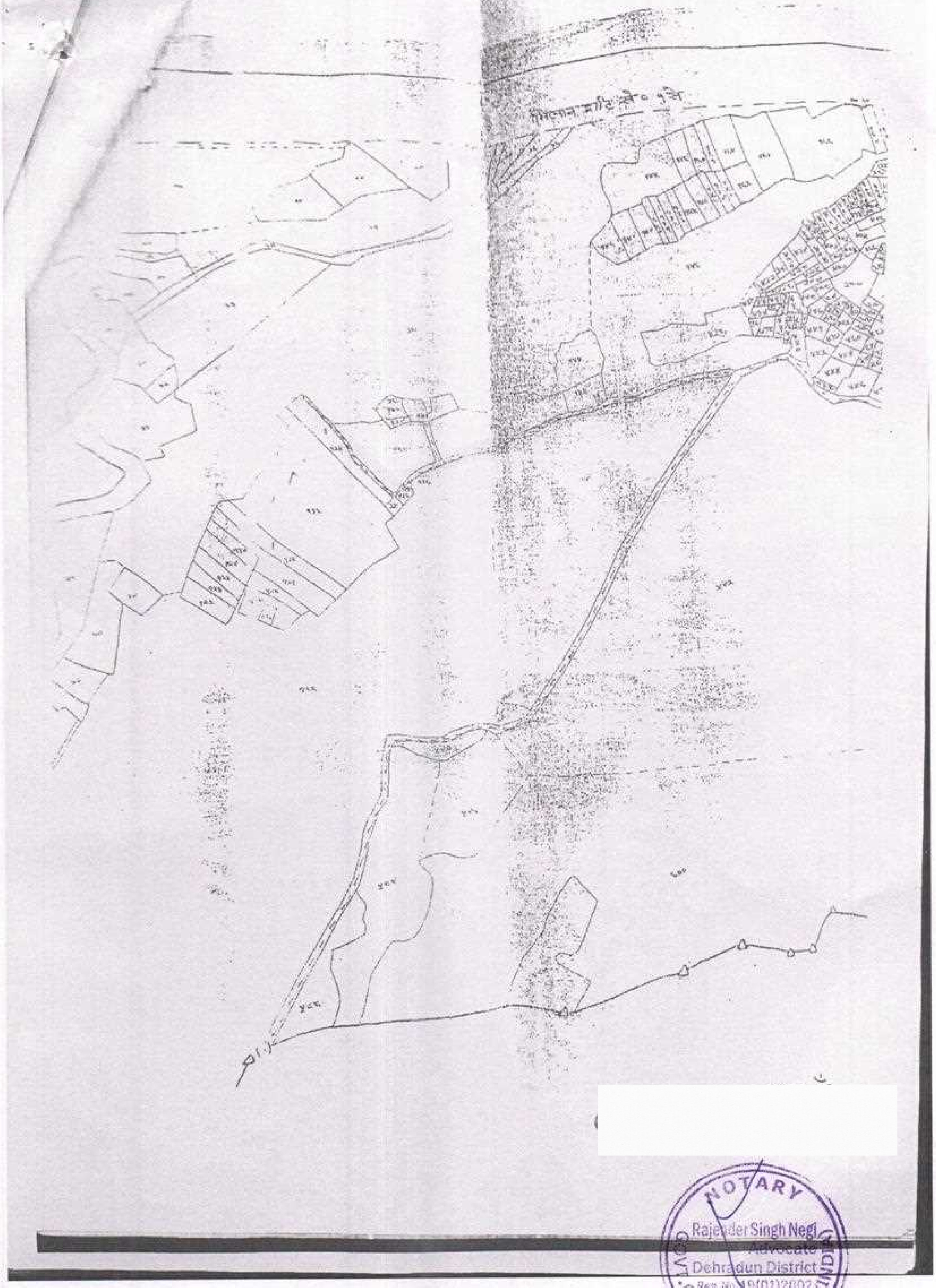

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

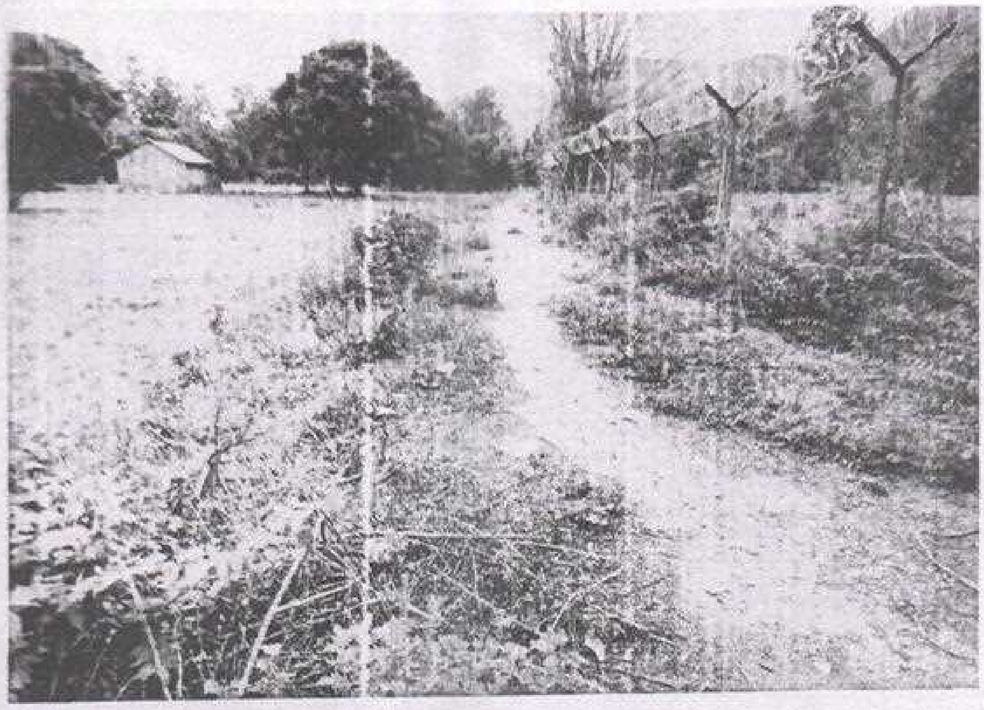

ख.नं 134 सीमा

वन विभाग

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg. No. 19(01)2002
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

उपस्थिति पत्र/संयुक्त आख्या

आज दिनांक 22/6/2024 को ग्राम-चौकी परगना पछुवादून तहसील विकासनगर मे तहसीलदार विकासनगर के मौखिक आदेश के क्रम मे वाद संख्या 19/2023-24 प्रतिभाशर्मा बनाम अपर्णा एक्सप्लोसिव आदि मे मा. न्यायालय अपर आयुक्त गढ़वाल मण्डल कैम्प देहरादून मे पारित आदेश दिनांक 15/6/2024 के अनुपालन मे पूर्व सूचना के द्वारा पक्षकारो को स्थल पर उपस्थिति हेतु सूचित किये जाने के उपरान्त स्थल पर उपस्थित हुए। पक्षकारो को आदेश दिनांक 15/6/2024 को दिखाया एवं पढ़ाया गया और पुलिस बल की उपस्थिति मे आदेश की प्रति भी उपलब्ध कराई गई एवं पक्षकारो को मा. अपर आयुक्त के आदेश मे उल्लिखित प्रतिवादीगण को ग्राम चौकी परगना पछुवादून तहसील विकासनगर के खसरा नम्बर 1375/46 मे प्रश्नगत रास्ते की भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न किये जाने एवं रास्ते की आवाजाही को मौके पर निर्बाध रूप से बनाये रखे जाने हेतु सूचित किया गया। स्थल पर उपस्थित थानाध्यक्ष प्रेमनगर द्वारा भी पक्षकारो को सूचित किया गया है कि आदेश के अनुपालन न करने की दिशा मे उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी। स्थल पर वर्तमान का रास्ते के आवागमन का नजरी नक्शा पृथक से संलग्न है। उपस्थित व्यक्तियो की उपस्थिति निम्न प्रकार है:-

1:- अनिल देवरानी – प्रतिनिधि/मैनेजर अपर्णा एक्सप्लोसिव
पुत्र स्व. आर.पी. देवरानी (हस्ताक्षर करने से मना किया गया)

2:- मोमिन खान S/o स्व. मुस्तफा खान 9568200055 (हस्ताक्षर करने से मना किया)

3:- आकेश आहूजा पुत्र नरेन्द्र आहूजा - 7897859802

4:- मनीष शर्मा पुत्र स्व. दर्शन सिंह 9548563303 मनीष कुमार

P.T.O.

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
GOVT. OF UTTARAKHAND INDIA

1- श्री प्रतिभा शर्मा प/० मनीष कुमार
द्वारा प्रतिनिधि/अधिवक्ता सचिन शर्मा
7500775413 22/6/24

2- भगवान सिंह S/o सीताराम पूर्व ग्राम प्रधान ग्राम चौकी 9759319812 भगवान सिंह 22/06/2024

3- अशोक नेगी S/o शमशेर सिंह पूर्व ग्राम प्रधान हरियावाला कलां 7351351999

5- श्री गिरीश नेगी — अध्यक्ष — व्यापार मंडल 9411112188 22/6/24

6 मनोज मिश्रा रा० ग्राम हरियावाला कलां (भा०) 9927213578 22/6/2024

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg. No. 19(01)2002
GOVT. OF UTTARA... (INDIA)

नजरी नक्शा ग्राम चौकी परगना पछवादून
तहसील विकासनगर

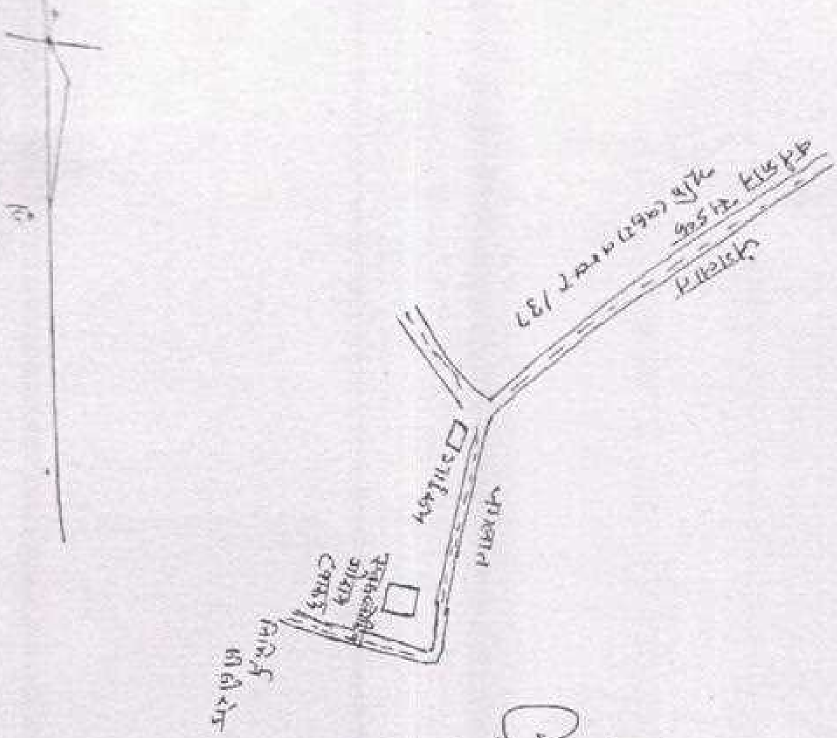

22/6/2024

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg. No. 13(91)2002
UTTAR

9153

सेवा में,

1- श्रीमान सचिव महोदय- गृह विभाग , उत्तराखंड शासन
2- श्रीमान सचिव महोदय- राजस्व विभाग, उत्तराखंड शासन
3- श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तराखंड
4- श्रीमान आयुक्त महोदय, गढ़वाल मंडल, उत्तराखंड
5- श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, जनपद देहरादून , उत्तराखंड
6- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद देहरादून, उत्तराखंड
7- श्रीमान उप-जिलाधिकारी, तहसील विकासनगर, देहरादून,उत्तराखंड
8- श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय, थाना- प्रेमनगर, जनपद देहरादून, उत्तराखंड

महोदय,

प्रार्थिनी सविनय निम्न निवेदन करती है:-

यह कि ग्राम चौकी तहसील विकासनगर जिला देहरादून के खाता खतौनी संख्या 141 के संख्या 137 एवं 146 आदि पर राजस्व अभिलेखों में अंकित एक वर्षो पुराना आम रास्ता श्मशान घाट एवं काश्तकारो की भूमि से होता हुआ खाराखेत एवं सेला गाँव के लिए जाता है, जोकि राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 6-2 / सड़क के रूप में अंकित है जोकि ग्राम चौकी के सजरे में भी दर्शित व अंकित है उक्त रास्ता कई दशकों से ग्रामवासी उपयोग में लेते आये हैं ।

यह कि ग्रामीणों के सुगम अवागमन हेतु श्री चमन सिंह, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत द्वारा जिला योजना के अंतर्गत पक्की सड़क का निर्माण कराया गया था परन्तु श्री कोविद अहूजा एवं अन्य भू-माफियाओं द्वारा अपनी जान पहचान एवं पैसे के बल पर उक्त पक्की सड़क को ध्वस्त कर दिया गया है एवं आये दिन आम रास्ता बाधित कर अतिक्रमण किए जाने के प्रयास किया जा रहा है, परन्तु ग्राम बासियों द्वारा उक्त रस्ते को कभी भी अतिक्रमित होने नहीं दिया है एवं वर्तमान में भी उक्त रास्ता ग्रामवासी द्वारा उपयोग में लाया जाता है ।

आपको सादर अवगत कराना है कि पूर्व मे भी दिनांक 14-05-24 को कोविद अहूजा एवं उसके साथियो द्वारा मार्ग को अवरुद्ध करने एवं अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया था जिसके विरोध में ग्रामीणों द्वारा स्थल पर धरना-प्रदर्शन किया गया था जोकि समाचार-पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक समाचार पटल में भी प्रकाशित हुआ है । (प्रति संलग्न है)

दिनांक 15-05-24 को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को ग्राम वासियों द्वारा संयुक्तरूप से एक ज्ञापन दिया गया था जिस पर श्रीमान उप-जिलाधिकारी, विकासनगर द्वारा जांच की जा रही है तथा उक्त जांच के क्रम में ग्राम के पटवारी की आख्या दिनांक 29-05-2024 में भी उक्त रास्ते की पुष्टि की गयी है । (प्रति संलग्न है)

आपको सादर अवगत कराना है कि मा० सीविल जज सी० डी०, देहरादून के वाद संख्या 763 वर्ष 2006 गंभीर सिंह आदि बनाम अपर्णा एक्सप्लोसिव द्वारा कोविद अहूजा में पारित

सत्य प्रतिलिपि
लोक सूचना अधिकारी
तहसील-विकासनगर
देहरादून
दिनांक- 20/12/24

951

821

NOTARY
Advocate
Dehradun District
Regn.No.19(01)2002
UTTARA... (INDIA)

...वारम आदेश दिनांक 13-10-15 में भी कोविद अहूजा / अपर्णा एक्सप्लोसिव उक्त रास्ते पर अपना स्वामित्व एवं अध्यासन साबित करने में असफल रहें है ।

महोदय दिनांक 31-05-2024 की सुबह करीब 9 बजे कोविद अहूजा द्वारा 10-15 लोगो को भेज कर पुनः गेट लगा कर ग्राम वासियों का आम रास्ता बंद करने का प्रयास किया गया परन्तु ग्रामीणों को सूचना मिलते ही सभी ग्राम वासी मौके पर पहुँच कर विरोध किया जिसके बाद उक्त सभी लोग अपना सामान लेकर वहां से भाग गए ।

श्रीमान उक्त कोविद अहूजा द्वारा उत्तराखंड राज्य के कई बड़े-बड़े अधिकारीयों का नाम लेकर ग्रामवासियों को धमकाया गया है कि मेरी पहुँच बहुत गेहरी है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और तुम गाँव वाले अगर इस रास्ते को उपयोग करोगे तो किसी भी झूठे मुकदमें में फसाकर जेल की हावा खिल्वादुंगा ।

महोदय कोविद अहूजा एवं उसके साथी तथा उसके कर्मचारी आय-दिन उपरोक्त रस्ते / मार्ग को कभी ट्रक खड़ा करके, कभी रास्ता लाठी डंडो से बाधित कर, कभी गेट लगाने की मंशा से निरंतर लड़ाई-झगडा करतें रहतें है एवं कोई जो भी उसके खिलाफ बोलता है तो उसको धमकातें है और गाली-गलौच कर मार-पीट आदि भी करते है जिससे गाँव में भय एवं अशांति का माहौल बना रहता है एवं हम सभी ग्रामीणों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है ।

अतः आप महोदय से निवेदान है कि प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए न्यायोचित कार्यवाही करने की कृपा करें तथा सम्बंधित अधिकारी को शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक निर्देश देने की कृपा करें ताकि ग्रामवासियों के मौलिक अधिकारों का हनन न हो तथा आम रास्ता बाधित ना हो ।

संलग्न :

1- खसरा संख्या 137, 146 सजरे की प्रति
2- खाता संख्या 141 की प्रति
3- पटवारी की आख्या दिनांक 29-05-2024
4- सीविल न्यायालय वाद संख्या 763 वर्ष 2006 के आदेश की प्रति
5- विवादित स्थल की फोटो
6- समाचार-पत्रों की प्रति

प्रार्थिनी

Pratima

प्रतिमा शर्मा पत्नी श्री मनीष कुमार
हरियावाला कलां, तहसील विकासनगर, दे० दून
मो० ..

प्राप्त प्रतिलिपि
सूचना अधिकारी
तहसील-विकासनगर
देहरादून
दिनांक- 20/12/24

NOTARY
Rajendra Singh Negi
Advocate
Regd. 15/03/2002
UTTARAKHAND (INDIA)

Outlook

ORIGINAL APPLICATION NO. 824/2024 PRAVEEN KUMAR GAUTAM VERSUS PWD BHATWARI, UTTARKASHI & ORS

From dhruv tamta <tamtaadvocates@outlook.com>
Date Tue 2025-07-08 14:09
To ARTAKKAR@ARTLO.IN <ARTAKKAR@ARTLO.IN>
Cc artakkar@artlo.in <artakkar@artlo.in>

1 attachment (7 MB)
Compliance Affidavit on behalf of R6- SSP.pdf.pdf;

Sir,

Please find Compliance Affidavit of on behalf of the Respondent No. 6

regards
Dhruv Tamta
Advocate
+91-9899989917

Disclaimer: The content of this electronic communication is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and any others who are specifically authorized to receive it. It may contain confidential or legally privileged information. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or otherwise placing reliance on the contents of this information is prohibited and may be unlawful in certain legal jurisdictions. If you have received this communication by error please notify the sender immediately and then delete it from your system.

Security Warning: Although this e-mail and its attachments are believed to be free from any virus, it is the responsibility of the recipient to ensure that they are virus free.

Please consider the environment before printing this e-mail.